राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट
1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण
बी–1 विंग, सातवाँ तल
पं0 दीनदयाल अंतयोदया भवन,
सी.जी.ओ.कॉम्पलेक्स, लोधी रोड़,
नई दिल्ली–110003

विषय सूची

अध्याय I	**प्रस्तावना**	4
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के लक्ष्य		4
अध्याय II	**राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के प्रकार्य सहित**	5
एनटीसीए के प्रकार्य		7
अध्याय III	**राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की बैठकें और उसमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय**	9
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 16वीं बैठक		9
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 17वीं बैठक		18
अध्याय IV	**राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित समितियां**	23
अध्याय V	**प्रशासनिक मामले**	27
एनटीसीए मुख्यालय के एनटीसीए अधिकारियों और कर्मचारियों (स्थायी आधार पर) का विवरण		27
एनटीसीए क्षेत्रीय कार्यालयों के एनटीसीए अधिकारियों (स्थायी आधार पर) का विवरण		28
एनटीसीए मुख्यालय कर्मचारियों (आउटसोर्स आधार पर) - का विवरण		28
व्याघ्र संरक्षण के लिए की गयीं महत्वपूर्ण पहलें		30
	विधिक कदम	30
	प्रशासनिक कदम	30
	वित्तीय कदम	32
	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	32
	अन्य विविध कदम	34
	व्याघ्र रिजर्वों की सुरक्षा संपरीक्षा	37
	वर्ष के दौरान आयोजित अन्य महत्वपूर्ण आयोजन/समारोह	39
पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन		40
अध्याय VI	**राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के वित्त वर्ष 2019-20 वित्त एवं लेखे**	**41**

अध्याय VII	**राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक योजना**	42
अध्याय VIII	**अनुपालन संबंधी मुद्दे**	45
व्याघ्र संरक्षण योजनाओं की स्थिति (दिनांक 31.03.2020 को यथा स्थिति)		45
समीक्षाधीन और लंबित टीसीपी का विवरण		45
अब तक अनुमोदित टीसीपी की सूची		45
संचालन समिति (दिनांक 31.03.2020 को यथा स्थिति)		47
व्याघ्र संरक्षण संस्थापना/प्रतिष्ठान (दिनांक 31.03.2020 को यथा स्थिति)		48
लंबित टीसीएफ :-		50
मूल और बफर अधिसूचना (दिनांक 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार)		
अध्याय IX	**अनुलग्नक**	53
अनुलग्नक I भारत के व्याघ्र रिजर्वों की सूची		53
अनुलग्नक II व्याघ्र मृत्यु दर (प्राकृतिक एवं अन्य कारण)		55
व्याघ्र रिजर्वों के अंदर		55
व्याघ्र रिजर्वों के बाहर		56
अनुलग्नक III सीएसएस - व्याघ्र परियोजना : वर्ष 2019-20 के लिए की गयी संस्वीकृतियों का विवरण		58
टाइगर रिजर्ववार संस्वीकृतियों का विवरण		58
संस्वीकृतियों का राज्यवार विवरण		59
अनुलग्नक IV - वित्तीय वर्ष 2019-20 का योजनागत व्यय (दिनांक 31.03.2020 को यथा स्थिति)		61
अनुलग्नक V - 31 मार्च, 2020 को यथा स्थिति वित्तीय विवरण/ तुलन पत्र		62
अनुलग्नक VI - वित्तीय विवरण - 31 मार्च, 2020 को यथा स्थिति आय एवं व्यय		63
अनुलग्नक VII - 31 मार्च, 2020 को यथा स्थिति वित्तीय विवरण (प्राप्तियां एवं भुगतान)		64
अनुसूची - 1	- दिनांक 31.03.2020 को यथा स्थिति समग्र / पूंजीगत निधि - वित्तीय विवरण - तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां	66
अनुसूची - 2	- आरक्षित निधि और अधिशेष	67
अनुसूची - 3	- उद्दिष्ट / स्थायी निधियां	69

अनुसूची - 4	- प्रतिभूत ऋण एवं उधार	70
अनुसूची - 5	- अप्रतिभूत ऋण और उधार	71
अनुसूची - 6	- आस्थगित ऋण और देयताएं	72
अनुसूची - 7	- चालू देयता एवं प्रावधान	73
अनुसूची - 8	- अचल आस्तियां	74
अनुसूची - 9	- उद्दिष्ट / स्थायी निधियों में निवेश	75
अनुसूची - 10	- अन्य निवेश	75
अनुसूची - 11	- मौजूदा आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	76
अनुसूची-11 ख.	- मौजूदा आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	76
अनुसूची - 12	- बिक्री / सेवाओं से आय	78
अनुसूची - 13	- अनुदान / सब्सिडी	78
अनुसूची - 14	- शुल्क / अभिदान	78
अनुसूची - 15	- निवेशों से आय	79
अनुसूची - 16	- रॉयल्टी / प्रकाशन से आय	79
अनुसूची - 17	- सावधि जमा / बचत खातों पर अर्जित ब्याज /ऋण से अर्जित ब्याज	79
अनुसूची - 18	- अन्य आय	80
अनुसूची - 19	- तैयार माल के स्टॉक एवं प्रगतिधीन कार्य में वृद्धि / कमी	80
अनुसूची - 20	- स्थापना व्यय	81
अनुसूची - 21	- अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	81
अनुसूची - 22	- अनुदान	82
अनुसूची - 23	- ब्याज	82
अनुसूची - 24	- महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	84
अनुसूची - 25	- लेखाओं संबंधी आकस्मिक देयताएं एवं लेखा टिप्पणियां	85
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की लेखाओं की लेखा परीक्षा रिपोर्ट		86-95

अध्याय I : प्रस्तावना

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन वर्ष 2006 में यथा संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के समर्थकारी उपबंधों के अंतर्गत, उक्त अधिनियम के तहत इसे सौंपी गई शक्तियों एवं प्रकार्यों के अनुसार व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ करने के लिए किया गया है।

यह प्राधिकरण व्याघ्र प्रस्थिति के मूल्यांकन पर आधारित परामर्शी / निर्देशात्मक दिशानिर्देश, चालू संरक्षण पहलों और विशेष रूप से गठित समितियों के माध्यम से पर्यवेक्षण प्रतिधारित रखते हुए देश में व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के दायरे में अपने अधिदेश को पूरा कर रहा है। यह प्राधिकरण वर्तमान में 'व्याघ्र परियोजना' के माध्यम से 18 व्याघ्र रेंज राज्यों में फैले 50 टाइगर रिजर्वों को निधियन सहायता प्रदान करता है। 'व्याघ्र परियोजना' व्याघ्रों के यथा स्थिति संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित योजना है और इस योजना के माध्यम से विलुप्तप्राय व्याघ्र को विलुप्त होने से बचाकर पुनर्प्राप्ति के सुनिश्चित मार्ग पर लाया गया है, जैसा कि परिष्कृत पद्धति का उपयोग करते हुए अखिल भारतीय व्याघ्र अनुमान के हालिया निष्कर्षों में सामने आया है।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के लक्ष्य

वैज्ञानिक, आर्थिक, सौन्दर्यीकरण, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकीय मूल्यों के लिए भारत में व्याघ्रों की संख्या को जीवनक्षम स्तर तक बनाए रखने तथा लोगों को लाभ, उनकी शिक्षा एवं आनंद के लिए जैविक महत्व के क्षेत्रों का सदैव राष्ट्रीय धरोहर के रुप में संरक्षण करना।

1. व्याघ्र परियोजना को सांविधिक प्राधिकार प्रदान कराना ताकि इसके निर्देशों के अनुपालन को कानूनी दायरे में लाया जा सके।
2. हमारे संघीय ढांचे के अंतर्गत, राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन के लिए एक आधार प्रदान कर टाइगर रिजर्वों के प्रबंधन में केन्द्र-राज्य उत्तरदायित्व कायम हो।
3. संसद द्वारा निगरानी की व्यवस्था करना।
4. टाइगर रिजर्वों के आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोगों की आजीविका के हितों पर ध्यान देना।

*****

अध्याय II : राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन दिनांक 04.09.2006 को, अन्य बातों के साथ - साथ व्याघ्र संरक्षण प्रबंधन में निर्देशात्मक मानकों को सुनिश्चित कर, आरक्षित क्षेत्र विशिष्ट व्याघ्र संरक्षण योजना तैयार कर, संसद के पटल पर वार्षिक / लेखापरीक्षा रिपोर्ट रखकर, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन कर और व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना कर व्याघ्र संरक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए किया गया था। राजपत्र अधिसूचना द्वारा गठित राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों की सूची इस प्रकार है:

1.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री	- अध्यक्ष
2.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री	- उपाध्यक्ष
3.	संसद सदस्य (लोक सभा) : सुश्री दीया कुमारी	- सदस्य
4.	संसद सदस्य (लोक सभा) : श्री राजीव प्रताप रुडी	- सदस्य
5.	संसद सदस्य (राज्य सभा): श्री हर्षवर्द्धन सिंह डुंगरपुर	- सदस्य
6.	श्री पी. आर. सिन्हा, पूर्व निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, मकान सं. के-1-12, सेक्टर-डी, प्रसाद लैब, कंकड़बाग कॉलोनी, पटना, बिहार-800020	- सदस्य
7.	डॉ. तिष्यरक्षित चटर्जी, सेवा निवृत्त सचिव, पर्यावरण, वन, जलवायु, प्लॉट नं. 208 - ए, रोड नं. 14ए, जुबिली हिल्स, तेलंगना - 500033	- सदस्य
8.	श्री हेमेन्द्र कोठारी, अध्यक्ष, डीएसपी ब्लैक रॉक, मफतलाल सेन्टर, दसवां तल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई - 400021, महाराष्ट्र	- सदस्य
9.	डॉ. इराच भरूचा, निदेशक, भारती विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड रिसर्च, कटराज - धानकावाडी कैंपस, पुणे - सतारा रोड, पुणे - 411043	- सदस्य
10.	श्री बी. के. पटनायक, सेवा निवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तर प्रदेश, 105, सुरेखा विल्ला, मिगमानन्दा नगर, लेन-2, बोमीखाल, भुवनेश्वर, ओडिशा - 751012	- सदस्य
11.	श्री एस. एस. श्रीवास्तव, आईएफएस, सेवानिवृत्त पीसीसीएफ एवं एचओएफएफ, ओडिशा, फ्लैट नं. बी-031, राहेजा अटलाटिस, सेक्टर - 31, गुड़गांव (हरियाणा) - 122001	- सदस्य
12.	श्री अनिश अंधेरिया (पीएचडी), वन्यजीव संरक्षण न्यास, 11वां तल, मफतलाल सेंटर, नारीमन पोइंट, मुंबई - 400021	- सदस्य

13.	श्री खगेश्वर नायक, सेवानिवृत्त क्षेत्र निदेशक, कान्हा टाइगर रिजर्व, एस.वी. 19, श्रीखेत्र विहार, ऐगिनिया, जिला खुर्दा, भुवनेश्वर, ओडिशा - 751019	- सदस्य
14.	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	- सदस्य
15.	वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	- सदस्य
16.	सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	- सदस्य
17.	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	- सदस्य
18.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	- सदस्य
19.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	- सदस्य
20.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	- सदस्य
21.	निदेशक, वन्य जीव परिरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	- सदस्य
22.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तर प्रदेश	- सदस्य
23.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, तेलंगना	- सदस्य
24.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम	- सदस्य
25.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, ओडिशा	- सदस्य
26.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, झारखंड	- सदस्य
27.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, महाराष्ट्र	- सदस्य
28.	संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली	- सदस्य
29.	अपर महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	- सदस्य सचिव

एनटीसीए के प्रकार्य :

वर्ष 2006 में यथा-संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ण के तहत राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियां और प्रकार्य इस प्रकार हैं :

(क) इस अधिनियम की धारा 38र की उप-धारा (3) के तहत राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई व्याघ्र संरक्षण योजना को अनुमोदित करना;

(ख) संधारणीय विकास पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं का आकलन और मूल्यांकन करना तथा व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के भीतर खनन, उद्योग और इसी प्रकार की अन्य परियोजनाओं के लिए पारिस्थितिकी रूप से बेढंग भूमि उपयोग को रोकना;

(ग) समय-समय पर व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के सुरक्षित और प्रमुख क्षेत्र में व्याघ्र संरक्षण के प्रयोजन से व्याघ्र परियोजना के लिए दिशा-निर्देश तथा पर्यटन कार्यकलापों के लिए निर्देशात्मक मानक निर्धारित करना तथा उनका विधिवत अनुपालन सुनिश्चित करना;

(घ) कार्य-योजना संहिता में राष्ट्रीय पार्कों, पक्षी अभ्यारण्यों अथवा टाइगर रिजर्व के बाहर वन क्षेत्रों में मानव और वन्यजीव से संबंधित संघर्ष का समाधान करने के प्रबंधन की व्यवस्था करना तथा उपाय सुझाना और इनके सह-अस्तित्व पर विशेष ध्यान देना;

(ङ) भावी संरक्षण योजना, व्याघ्र और इसकी प्राकृतिक भक्ष्य पशु प्रजातियों के आकलन, प्राकृतिक वास प्रस्थिति, बीमारी सर्वेक्षण, मृत्यु सर्वेक्षण, पेट्रोलिंग, अनुचित घटनाओं से संबंधित रिपोर्ट और भावी संरक्षण योजना के लिए यथा-उपयुक्त अन्य प्रबंधन पहलुओं सहित संरक्षण उपायों के संबंध में सूचना प्रदान करना;

(च) व्याघ्र, सह-परभक्षी, भक्ष्य पशु पर्यावास, सम्बद्ध पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक मापदंडों के संबंध में अनुसंधान तथा निगरानी को अनुमोदित, समेकित करना तथा इनका मूल्यांकन करना;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि टाइगर रिजर्व और एक संरक्षित क्षेत्र अथवा व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के किसी अन्य संरक्षित क्षेत्र अथवा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले क्षेत्रों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन तथा व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सलाह से जनहित के अलावा, अन्य किसी बेढ़ंग पारिस्थितिकी उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाता है;

(ज) अनुमोदित प्रबंधन योजनाओं के अनुसार पारि-विकास और जनता की सहभागिता के माध्यम से राज्य में जैव-विविधता संरक्षण पहलों के लिए व्याघ्र संरक्षण प्रबंधन को सुकर बनाना और सहायता प्रदान करना तथा केन्द्र और राज्य कानूनों के अनुसार इनसे संबंधित क्षेत्रों में इसी प्रकार की पहलों के लिए सहायता प्रदान करना;

(झ) व्याघ्र संरक्षण योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी और विधिक सहायता सहित अत्यधिक महत्वपूर्ण सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना;

(ञ) व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए जारी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को सुकर बनाना; और

(ट) व्याघ्रों और उनके निवास स्थान के संरक्षण के संबंध में इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यथा-आवश्यक अन्य कार्यों को निष्पादित करना।

,,,,,,

अध्याय-III राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की बैठकें और उन बैठकों में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 16वीं बैठक

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 16वीं बैठक श्री प्रकाश जावड़ेकर, माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन की अध्यक्षता में 03 सितंबर 2019 को शास्त्री भवन, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गयी।

2. इस बैठक के प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक-1** में दी गयी है।

3. नव नियुक्त एनटीसीए सदस्यों के परिचय दौर के साथ इस बैठक की शुरूआत हुई।

4. माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं अध्यक्ष, एनटीसीए ने सदस्यों का स्वागत किया और इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि बाघों की वैश्विक आबादी का 75 प्रतिशत, अर्थात् 2967 बाघ भारत में रहते हैं, व्याघ्र संरक्षण में भारत की अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने टिप्पणी की कि यह सफलता वन अधिकारियों के प्रयासों के कारण प्राप्त हुई है, जिन्हें समुदायों का समर्थ सहायता प्राप्त हुआ। समुदायों का समर्थन भारत की परंपरा, संस्कृति और मूल्य प्रणाली में बाघों के महत्व को उजागर करता है।

5. इसके बाद कार्यसूची मदवार चर्चा की गयी जो इस प्रकार है :

(i) कार्यसूची मद सं. 1 : दिनांक 08.03.2019 को आयोजित 15वीं बैठक के कार्यवृत्त और कृत कार्रवाई रिपोर्ट की पुष्टि।

उपस्थित सदस्यों ने एनटीसीए की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त और कृत कार्रवाई की पुष्टि की।

(ii) कार्यसूची मद सं. 2 : राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के कार्यकलापों पर प्रस्तुति।

अपर महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने नये सदस्यों की जानकारी के लिए एनटीसीए के कार्यकलापों, एनटीसीए की समितियों की भूमिका और जिम्मेदारियों के संबंध में एक प्रस्तुति दी।

(iii) कार्यसूची मद सं. 3 : अखिल भारतीय व्याघ्र आकलन के चौथे दौर, 2018 संबंधी प्रस्तुति।

अपर महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने अखिल भारतीय व्याघ्र आकलन के चौथे दौर, 2018 के विस्तृत निष्कर्षों पर एक प्रस्तुति दी और भू-भागवार निष्कर्षों का विस्तार से वर्णन किया।

(iv) कार्यसूची मद सं. 4 : टाइगर रिजर्वों का प्रबंधन प्रभाविता मूल्यांकन, 2018 के चौथे दर पर प्रस्तुति।

अपर महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने टाइगर रिजर्वों के प्रबंधन प्रभाविता मूल्यांकन, 2018 के चौथे दर पर एक प्रस्तुति दी और इस कार्य की मूलभूत आवश्यकता का वर्णन किया और इस बात का भी वर्णन किया कि कैसे इसने टाइगर रिजर्वों में प्रबंधन अंतर्क्षेपों में सुधार लेने में मदद की है।

(v) कार्यसूची मद सं. 5 : टाइगर रिजर्वों का आर्थिक मूल्यांकन, 2018 के चरण - II संबंधी प्रस्तुति।

अपर महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने टाइगर रिजर्वों का आर्थिक मूल्यांकन, 2018 के चरण - II के परिणामों के संबंध में एक प्रस्तुति दी जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में टाइगर रिजर्वों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

(vi) कार्यसूची मद संख्या 6 : एनटीसीए के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित कार्यसूची मदें।

(क) श्री एस एस श्रीवास्तव द्वारा किया गया प्रस्ताव

(i) पारि-विकास समितियों का सशक्तीकरण

सदस्य ने एनटीसीए को सूचित किया कि टाइगर रिजर्वों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर पारि-विकास गतिविधियों को सशक्त किए जाने की जरूरत है ताकि इन क्षेत्रों को सामाजिक रूप से घेरा जा सके। देश में बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह और अधिक अनिवार्य हो गया है। उन्होंने सूचित किया कि वर्तमान में यह प्रतीत होता है कि फील्ड कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच अन्योन्य क्रिया की कमी है, जो महाराष्ट्र में एक तथाकथित नरभक्षी बाघिन को मारे जाने, जिसे लगातार लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा था, सतकोसिया टाइगर रिजर्वों में दो बाघों को लाने का ग्रामीणों द्वारा विरोध परिणामस्वरूप

लाये गए बाघों में से एक बाघ के मारे जाने, इत्यादि से स्पष्ट होता है। अपर महानिदेशक सह सदस्य सचिव, एनटीसीए को टाइगर रिजर्वों के फील्ड निदेशकों के साथ स्थिति की समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

अध्यक्ष, एनटीसीए ने सदस्य को इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पहले से वर्तमान में जो किया जा रहा है, उससे अधिक क्या किए जाने की जरूरत है, अपने सुझाव लिखित में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

(ii) क्षैतिज अवसंरचना परियोजनाओं को दी गयी छूटों की वापसी।

उक्त सदस्य ने एनटीसीए को सुझाव दिया कि टाइगर रिजर्वों के अंदर और उसके चारों ओर क्षैतिज अवसंरचना परियोजनाओं की दी गयी छूटों पर टाइगर रिजर्वों की पारिस्थितिकी पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों के आलोक में फिर से विचार किया जाना चाहिए।

तथापि, अध्यक्ष, एनटीसीए ने सदस्य को पुन: आश्वासित किया कि टाइगर रिजर्वों के संदर्भ में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 ण (1)(छ) के उपबंधों के अनुसार सम्यक प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है और जहॉ कहीं भी आवश्यक होता है वैकल्पिक, परिवर्जन और साथ ही साथ संरचनात्मक अंतर्क्षेपों के स्वरूप में स्थल विशिष्ट उपशमन क्रियान्वित किया जाता है और साथ ही साथ बाध संरक्षण योजना के नुस्खों के अलावा ''वन्यजीव पर क्षैतिज अवसंरचना के प्रभावों का उपशमन करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल उपाय'' और ''दीर्घावधिक संरक्षण के लिए व्याघ्रों को जोड़ना'' नामक मार्गदर्शी दस्तावेजों का अनुपालन किया जा रहा था।

(ख) डॉ. खगेश्वर नायक द्वारा किया गया प्रस्ताव

(i) बाघ पुन:स्थापन हेतु प्रोटोकॉल का सूत्रीकरण।

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि आईयूसीएल दिशानिर्देशों के अनुसार बाघ पुन:स्थापन संबंधी एक प्रोटोकॉल पहले ही तैयार कर लिया गया है, जिस पर अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि यदि आवश्यक होता है, इसमें सुधार लाने के लिए संबंधित सदस्य को अपने सुझाव लिखित में देने चाहिए।

(vi) **कार्यसूची मद सं. 7** : वर्ष 2019-20 के लिए बजट/व्यय अनुसूची का अनुमोदन

प्राधिकरण ने तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां और भुगतान विवरण सहित वित्तीय विवरणों के प्ररूपों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

(vii) **कार्यसूची मद सं. 8 :** अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद।

अध्यक्ष, एनटीसीए ने उपस्थित संसद सदस्यों से और उनके बाद अन्य सदस्यों से भारत में व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ करने के लिए अपनी टिप्पणी और सुझाव देने का आग्रह किया।

(क) श्री के. सी. रामामूर्ति

माननीय संसद सदस्य ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक से गुजरने वाले एनएच-766 (पुराना एनएच 212) पर रात्रिकालीन यातायात पर पाबंदी लगाने के एनटीसीए के रूख की सराहना की और ऐसे मामलों में विज्ञान आधारित समाधान की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने इस बात को चिन्हित किया कि नागरहोल टाइगर रिजर्व में रहने वाले 150 परिवारों को भारत सरकार की नीतियों के अनुसार पुनर्वासित किए जाने की जरूरत है ताकि कल्याण योजनाओं को संपूर्णत: उपलब्ध करवाया जा सके।

यह सुझाव दिया गया था कि पारेषण लाइनों जैसी क्षैतिज अवसंरचना के संबंध में उपशमन रणनीतियों को युक्तिसंगत बनाने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति की तरह के एक दल का गठन किया जाना चाहिए।

माननीय संसद सदस्य ने यह भी टिप्पणी की कि संरक्षण संगठनों से सदस्यों को नियुक्त कर प्रबंधन प्रभाविता मूल्यांकन दलों को सशक्त किए जाने की जरूरत है, जिस पर सदस्य सचिव ने यह उल्लेख किया कि ऐसा किया जा रहा था।

उन्होंने मत वयक्त किया कि एनटीसीए को देश में बाघ की मौतों का एक अभिलेख रखना चाहिए जिस पर माननीय अध्यक्ष ने यह कहा कि ऐसे मामलों के लिए प्राधिकरण द्वारा मानक प्रचालन प्रक्रिया के आधार पर एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया अपनाई जाती है। उप अध्यक्ष, एनटीसीए ने वर्ष 2018 में लालगढ़, पश्चिम बंगाल में एक बाघ की मृत्यु को उजागर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अवांछित अदालती प्रक्रियाओं और साथ ही साथ विवादों से बचने के लिए एसओपी में यथा विहित प्रोटोकॉलों का अनुपालन किए जाने की जरूरत है।

(ख) सुश्री दीया कुमारी

माननीय संसद सदस्या ने बढ़ते मानव पशु अवांछित पारस्परिक टकराव का मुद्दा उठाया और यह चिन्हांकित किया कि समुदायों और वन प्रतिष्ठानों के बीच भरोसे का एक एक गंभीर अभाव है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिरोधक और सीमांत ग्रामों में पानी के लिए प्रावधान जैसी प्रवेश बिन्दु गतिविधियां के अलावा जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सामूदायिक सहलग्नता को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने टाइगर रिजर्व में प्लास्टिक के उपयोग का भी मुद्दा भी उठाया जिसे प्रकृति गाइडों के प्रशिक्षण के माध्यम से हल किया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष ने इन टिप्पणियों को नोट करते हुए यह टिप्पणी की कि सामूदायिक सहलग्नता के संबंध में वन अधिकारियों को पुन: अभिविन्यासित और पुन: प्रशिक्षण की जरूरत है।

(ग) श्री राजीव प्रताप रुडी

माननीय संसद सदस्य ने एनटीसीए के विचारार्थ निम्नलिखित बिन्दुओं को उठाया :

- एनटीसीए बैठकों की बारंबारता को बढ़ाए जाने की जरूरत है और माननीय अध्यक्ष की अनुपलब्धता की स्थिति में, उपाध्यक्ष को यह कार्य सौंपा जा सकता है।
- उन्होंने सुझाव दिया कि माननीय अध्यक्ष चयनित संसद सदस्यों की उप-समिति गठित कर सकते हैं, जो विषयगत क्षेत्रों में वन्यजीव में रूचि रखते हैं और जो बाघ संरक्षण के सुदृढीकरण के लिए आदान प्रदान कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (पर्यटन और व्याघ्र परियोजना आदर्शक मानक) दिशानिर्देश, 2012 के संबंध में, उन्होंने स्थानीय परामर्शी समिति (एलएसी) में संसद सदस्यों को शामिल करने के अलावा कुछेक पहलूओं के सरलीकरण का सुझाव दिया। इसके अलावा, उक्त दिशानिर्देशों में शिक्षा और जागरूकता का संवर्धन करने के लिए टाइगर रिजर्वों में स्कूली बच्चों का दौरा शामिल करने की सलाह दी थी।
- माननीय संसद सदस्य ने टाइगर रिजर्वों में काम कर रहे दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों पर एक विस्तृत रिपोर्ट का अनुरोध किया जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ उन्हें दी जा रही बीमा जैसी सुविधाएं शामिल होना चाहिए।

- टाइगर रिजर्वों में स्थित वन निरीक्षण बंगलों के विरासत मूल्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, वर्तमान में मौजूद ऐसी सुविधाओं की एक सूची तैयार करने का सुझाव दिया।
- पर्यावास प्रबंधन के संदर्भ में, माननीय संसद सदस्य ने यह कहा कि दावानल और उनके प्रबंधन की स्थिति को उन पर कुशल नियंत्रण के लिए प्रलेखित किया जाना चाहिए और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लांताना प्रबंधन के लिए बांदीपुर में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की जानी चाहिए।
- उन्होंने एनटीसीए से विशेष टाइगर सुरक्षा बल संबंधी एक टिप्पण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।
- उन्होंने टाइगर रिजर्व से प्राप्त लाभों को समुदायों में पुनर्निवेश करने के लिए एक तंत्र का पता लगाने की सलाह दी और साथ ही टूर ऑपरेटरों के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू करने की भी सलाह दी विशेषकर इको टूरिस्टों के बीच अनुशासन के प्रवर्तन के संदर्भ में।

(घ) श्री हेमेन्द्र कोठारी

सदस्य ने समुदाय सहलग्नता के संबंध में अन्यों से संकेत ग्रहण करते हुए यह उजागर किया कि केवल उनकी संख्या के कारण कई अभिनव कार्यक्रम अक्सर वांछित परिणाम नहीं दे पाते हैं और यह कि वन्यजीव पर्यटन टाइगर रिजर्वों के प्रतिरोधक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका जरूरतों को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं।

(ङ) डॉ. इराच भरूचा

डॉ. भरूचा वन्यजीव और प्रकृति संरक्षण के बारे में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए टाइगर रिजर्वों के निकट के स्थानीय स्कूलों में एक औपचारिक स्कूली शिक्षा कार्यक्रम पर जोर दिया जो अध्यापकों के प्रशिक्षण और संवेदीकरण से शुरू होना चाहिए। उन्होंने मार्गदर्शन हेतु उक्त कार्यक्रम के लिए मॉड्यूल विकसित करने के लिए समन्वयन करने हेतु स्वैच्छिक योगदान का भी प्रस्ताव किया।

(च) श्री अनिश अंधेरिया

सदस्य ने सुझाव दिया कि फ्रंटलाइन वन कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रेरक पाठ्यक्रम प्रदान करने के अलावा वन रक्षकों के स्तर पर न्यायलयिक और विधिक मामलों में प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया विशेष रूप से टाइगर रिजर्वों से सटे प्रादेशिक क्षेत्रों में।

उन्होंने प्रतिरोधक क्षेत्रों और कॉरिडोरों में कीटनाशक जहर और बिजली से मौत का मुद्दा उठाया और टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक के अंतर्गत एक मूल और प्रतिरोधक क्षेत्र एकीकृत नियंत्रण की जरूरत को चिन्हांकित किया।

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को परिकल्पित परिणाम हासिल करने के लिए उपशमन उपाय के रूप में विनिर्मित सुरंगों से मलबा निकालने पर जोर देना चाहिए और यह अनुरोध किया कि इसे ''वन्यजीव पर क्षैतिज अवसंरचना के प्रभावों को कम करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल उपाय'' नामक दस्तावेज के भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

उन्होंने एनटीसीए से वन्यजीव के निर्बाध आवाजाही अनुमत करने के लिए काजिरंगा टाइगर और राजाजी टाइगर रिजर्वों की सीमा पर क्षैतिज अवसंरचना के साथ वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित सावधानीपूर्वक चयनित स्थानों में उपशमन उपाय शामिल करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष, एनटीसीए ने सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी पर प्रशंसा व्यक्त की और एनटीसीए बैठकों की बारंबारता को बढ़ा कर वर्ष में कम से कम चार बार करने को दोहराया, जिसमें से दो बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित की जाएंगी, अधिमानत: टाइगर रिजर्व में। उन्होंने एनटीसीए के अधिकारियों को सदस्यों द्वारा उठाए गए बिन्दुओं और उन पर कृत कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण से अवगत कराने का निदेश दिया।

यह बैठक अध्यक्ष और सदस्यों को साधुवाद प्रस्ताव परित कर संपन्न हो गयी।

*****

अनुलग्नक - 1 - प्रतिभागियों की सूची	
क्र. सं.	**नाम / पदनाम और पता**
1	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री
2	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
3	दीया कुमारी, संसद सदस्य (लोकसभा)
4	श्री राजीव प्रताप रुडी, संसद सदस्य (लोक सभा)
5	श्री के. सी. रामामूर्ति, संसद सदस्य (राज्य सभा)
6	पी. आर. सिन्हा, पूर्व निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, मकान सं. के-1-12, सेक्टर - डी, प्रसाद लैब, कंकड़ बाग कॉलोनी, पटना बिहार -800020
7	डॉ. तिष्यरक्षित चटर्जी, सेवा निवृत्त सचिव, पर्यावरण, वन, जलवायु, प्लॉट नं. 208 - ए, रोड नं. 14ए, जुबिली हिल्स, तेलंगना - 500033
8.	श्री हेमेन्द्र कोठारी, अध्यक्ष, डीएसपी ब्लैक रॉक, मफतलाल सेन्टर, दसवां तल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई - 400021, महाराष्ट्र
9.	डॉ. इराच भरूचा, निदेशक, भारती विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड रिसर्च, कटराज - धानकावाडी कैंपस, पुणे - सतारा रोड, पुणे - 411043
10.	श्री बी. के. पटनायक, सेवा निवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तर प्रदेश, 105, सुरेखा विल्ला, मिगमानन्दा नगर, लेन-2, बोमीखाल, भुवनेश्वर, ओडिशा -751012
11.	श्री एस. एस. श्रीवास्तव, आईएफएस, सेवानिवृत्त पीसीसीएफ एवं एचओएफएफ, ओडिशा, फ्लैट नं. बी-031, राहेजा अटलाटिस, सेक्टर - 31, गुड़गांव (हरियाणा) - 122001
12.	श्री अनिश अंधेरिया (पीएचडी), वन्यजीव संरक्षण न्यास, 11वां तल, मफतलाल सेंटर, नारीमन पोइंट, मुंबई - 400021
13.	श्री खगेश्वर नायक, सेवानिवृत्त क्षेत्र निदेशक, कान्हा टाइगर रिजर्व, एस.वी. 19, श्रीखेत्र विहार, ऐगिनिया, जिला खुर्दा, भुवनेश्वर, ओडिशा - 751019
14.	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
15.	वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
16.	सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय

17.	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
18.	अध्यक्षा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
19.	अध्यक्षा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
20.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
21.	निदेशक, वन्य जीव परिरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
22.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तर प्रदेश
23.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, तेलंगना
24.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम
25	मुख्य वन्यजीव वार्डन, ओडिशा
26	मुख्य वन्यजीव वार्डन, झारखंड
27	मुख्य वन्यजीव वार्डन, महाराष्ट्र
28	संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
29	अपर वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
30	एनटीसीए (मुख्यालय) और क्षेत्रीय कार्यालयों (एनटीसीए) (मुख्यालय), बेंगलुरु, गुवाहाटी और नागपुर के सभी अधिकारीगण

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 17वीं बैठक

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 17वीं बैठक श्री प्रकाश जावड़ेकर, माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन की अध्यक्षता में 03 सितंबर 2019 को महानदी सम्मेलन कक्ष, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली में आयोजित की गयी।

2. इस बैठक के प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक-1** में दी गयी है।

3. नव नियुक्त एनटीसीए सदस्यों के परिचय दौर के साथ इस बैठक की शुरूआत हुई। माननीय अध्यक्ष ने श्री हर्षवर्द्धन सिंह डुंगरपुर का परिचय कराया, जिन्हें हाल ही में राज्य सभा से एनटीसीए के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

4. माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं अध्यक्ष, एनटीसीए ने सदस्यों से कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया और सदस्यों को हाल की प्रगतियों से अवगत कराया। अपर महानिरीक्षक (व्याघ्र परियोजना) एंव सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने सदन को एनटीसीए की 16वीं बैठक के निर्णयों के संबंध में की गयी कार्रवाईयों से अवगत कराया।

5. श्री राजीव प्रताप रुडी ने पिछली बैठक में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने दोहराया कि देश में व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ करने हेतु निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि का उपयोग किया जाना चाहिए और यह सुझाव दिया कि इस संबंध में एक उप-समिति बनायी जा सकती है। इसके अलावा, उन्होंने दोहराया कि स्थानीय सलाहकार समिति (एलएसी) में एक संसद सदस्य को शामिल करने के अलावा वाहन वहन क्षमता संबंधी दिशानिर्देशों को सरल बनाया जाना चाहिए।

6. सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन ने यह उजागर किया कि सीएसआर के माध्यम से वन और वन्यजीव क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियां सीमित हैं और उपस्थित सदस्य की चिंता को उनके दायरे में शामिल किए जाने की जरूरत है। श्री राजीव प्रताप रुडी ने इस संदर्भ में गतिविधियों की एक मार्गदर्शी सूची प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की।

7. माननीय अध्यक्ष ने अपर महानिरीक्षक (पीटी) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) को अगली बैठक के आयोजन के पूर्व श्री रुडी द्वारा उठाए गए सभी बिन्दुओं के संबंध में प्रासंगिक विवरण उपलब्ध करवाने का निदेश दिया।

8. डॉ. अनिश अंधेरिया ने भू-दृश्य सुरक्षित करने का मुद्दा उठाया और देश में बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्वों से परे देखने का सुझाव दिया और कहा कि इसे टाइगर रिजर्वों की व्याघ्र संरक्षण योजनाओं में पर्याप्त रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

9. श्री हर्ष वर्धन सिंह डुंगरपुर यह कहते हुए कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व का पर्यटन की दृष्टि से "अत्यधिक दोहन" किया जाता है, राजस्थान सरकार द्वारा बाघों के लिए अउल्लंघनीय क्षेत्र सुरक्षित करने के लिए टाइगर रिजर्व के रूप में कुंबालगढ वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे क्षेत्रों को अधिसूचित किए जाने की जरूरत है।

10. 16वीं बैठक में डॉ. इराच भरूचा द्वारा चिन्हित स्कूल शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने सूचित किया कि इस संदर्भ में एक बैठक पहले ही 9 दिसंबर 2019 को आयोजित की गयी थी, जिसमें ऐसे कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए एक फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया गया था।

11. सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, महाराष्ट्र ने स्थानांतरण और बचाव प्रोटोकॉल को सुदृढ करने पर विशेष जोर देते हुए चंद्रपुर जिले में मानव - बाघ संघर्ष और राज्य प्राधिकरणों द्वारा इसके प्रबंधन के विषय पर एक प्रस्तुति दी।

12. अपर महानिरीक्षक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने सदन को व्याघ्र संरक्षण विषय पर चौथे एशियाई मंत्रियों के सम्मेलन से अवगत कराया जिसका आयोजन 29 जून से 1 जुलाई 2020 के दौरान क्वालालम्पुर, मलेशिया में आयोजित किया जाएगा, जिसमें वैश्विक व्याघ्र पुन: प्राप्ति कार्यक्रम (जीटीआरपी) के सापेक्ष मुख्य प्रदर्शन संकेतकों पर चर्चा की जाएगी।

13. श्री राजीव प्रताप रुडी ने अध्यक्ष से निम्नलिखित मामलों पर एनटीसीए को निदेश देने का अनुरोध किया :

(i) अगली पंक्ति के कर्मचारियों के लिए एक पुरस्कार की स्थापना

(ii) टाइगर रिजर्वों में जल प्रबंधन संबंधी एक रिपोर्ट

(iii) पर्यटन मंत्रालय से एक अधिकारी को सहयोगित करना

(iv) टाइगर रिजर्वों द्वारा अर्जित राजस्व और उन पर किए गए व्यय

(v) देश में अनधिकृत बाघ शिकार की स्थिति

(vi) टाइगर रिजर्वों में पारिस्थितिकी पर्यटन दौरों की स्थिति

(vii) अंतर्राष्ट्रीय अनुभव दौरों के अलावा चौथे एशियाई मंत्रियों के सम्मेलन में एनटीसीए सदस्यों के भाग लेने की व्यवस्था

14. माननीय अध्यक्ष, एनटीसीए और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने सदस्य सचिव (एनटीसीए) को सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी लंबित मुद्दों को अंतिम रूप देने का निदेश दिया और अगली बैठक से पूर्व उन्हें और सदस्यों को विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा।

अध्यक्ष ने भारत में समाचारों में बाघों से संबद्ध नकारात्मक प्रचार और अनुचित सनसनी की तुलना में आस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया और ब्राजील में दावानलों के संदर्भ में सहानुभूति और सकारात्मक सार्वजनिक चर्चा को रेखांकित किया। उन्होंने एनटीसीए को इस मुद्दे पर रणनीति बनाने और तदनुसार उन्हें संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने की सलाह दी।

यह बैठक अध्यक्ष और सदस्यों को साधुवाद के प्रस्ताव के साथ संमाप्त हो गयी।

*****

	अनुलग्नक - 1 - प्रतिभागियों की सूची
क्र. सं.	**नाम / पदनाम और पता**
(i)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री
(ii)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(iii)	दीया कुमारी, संसद सदस्य (लोकसभा)
(iv)	श्री राजीव प्रताप रुडी, संसद सदस्य (लोक सभा)
(v)	श्री के. सी. रामामूर्ति, संसद सदस्य (राज्य सभा)
(vi)	पी. आर. सिन्हा, पूर्व निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, मकान सं. के-1-12, सेक्टर - डी, प्रसाद लैब, कंकड़ बाग कॉलोनी, पटना बिहार -800020
(vii)	डॉ. तिष्यरक्षित चटर्जी, सेवा निवृत्त सचिव, पर्यावरण, वन, जलवायु, प्लॉट नं. 208 - ए, रोड नं. 14ए, जुबिली हिल्स, तेलंगना - 500033
(viii)	श्री हेमेन्द्र कोठारी, अध्यक्ष, डीएसपी ब्लैक रॉक, मफतलाल सेन्टर, दसवां तल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई - 400021, महाराष्ट्र
(ix)	डॉ. इराच भरूचा, निदेशक, भारती विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड रिसर्च, कटराज - धानकावाडी कैंपस, पुणे - सतारा रोड, पुणे - 411043
(x)	श्री बी. के. पटनायक, सेवा निवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तर प्रदेश, 105, सुरेखा विल्ला, मिगमानन्दा नगर, लेन-2, बोमीखाल, भुवनेश्वर, ओडिशा -751012
(xi)	श्री एस. एस. श्रीवास्तव, आईएफएस, सेवानिवृत्त पीसीसीएफ एवं एचओएफएफ, ओडिशा, फ्लैट नं. बी-031, राहेजा अटलाटिस, सेक्टर - 31, गुड़गांव (हरियाणा) - 122001
(xii)	श्री अनिश अंधेरिया (पीएचडी), वन्यजीव संरक्षण न्यास, 11वां तल, मफतलाल सेंटर, नारीमन पोइंट, मुंबई - 400021
(xiii)	श्री खगेश्वर नायक, सेवानिवृत्त क्षेत्र निदेशक, कान्हा टाइगर रिजर्व, एस.वी. 19, श्रीखेत्र विहार, ऐगिनिया, जिला खुर्दा, भुवनेश्वर, ओडिशा - 751019
(xiv)	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(xv)	वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(xvi)	सचिव, जनजातीय कार्य, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन
(xvii)	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
(xviii)	अध्यक्षा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(xix)	अध्यक्षा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
(xx)	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
(xxi)	निदेशक, वन्य जीव परिरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(xxii)	मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तर प्रदेश
(xxiii)	मुख्य वन्यजीव वार्डन, तेलंगना
(xxiv)	मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम
(xxv)	मुख्य वन्यजीव वार्डन, ओडिशा
(xxvi)	मुख्य वन्यजीव वार्डन, झारखंड
(xxvii)	मुख्य वन्यजीव वार्डन, महाराष्ट्र
(xxviii)	संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
(xxix)	अपर वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(xxx)	एनटीसीए (मुख्यालय) और क्षेत्रीय कार्यालयों (एनटीसीए) (मुख्यालय), बेंगलुरु, गुवाहाटी और नागपुर के सभी अधिकारीगण

अध्याय IV : राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित समितियां

एनटीसीए की धारा 38ण (क) और (छ) के तहत एनटीसीए को संधारणीय पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलूओं का मूल्यांकन और आकलन करने और व्याघ्र रिजर्वों के अंदर खनन, उद्योग और अन्य परियोजनाओं जैसे किसी पारिस्थितिकीय असंधारणीय भूमि उपयोग अननुमत करने की शक्तियां दी गयीं हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना होता है कि टाइगर रिजर्व और एक संरक्षित क्षेत्र से जोड़ने वाला क्षेत्र या किसी संरक्षित क्षेत्र के साथ टाइगर रिजर्व या टाइगर रिजर्व को, सिवाय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी से और व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर जनहित के मामले में, पारिस्थितिकी की दृष्टि से असंधारणीय उपयोग में नहीं लाया जाता है।

तदनुसार, एनटीसीए ने वर्ष 2019-20 के दौरान एनटीसीए ने व्याघ्र प्रसार / परिक्षेपण / गलियारों के सापेक्ष विकास परियोजनाओं की स्थल समीक्षा और मूल्यांकन की कार्यवाही करने के लिए और प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, से निपटने के लिए प्रशामक उपायों की सलाह देने के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया है :-

I. एमआरआरडीए, पीएमजीएसवाय, अमरावती द्वारा प्रस्तुत चिखालदारा जिला अमरावती में करंझकेडा - हतरु - रायपुर - सेमाडोह सड़क का चै. किमी 26/0 से किमी 42/0 तक का नवीकरण प्रस्ताव; 16.00 किमी मेलघाट टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र से गुजरती है।

श्री निशांत वर्मा, उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, मुख्यालय नई दिल्ली को उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में स्थल मूल्यांकन की कार्यवाही करने का निदेश दिया गया। स्थल मूल्यांकन के निर्देश और निबंधन इस प्रकार हैं :

- बाघ प्रसार, इसके परिक्षेपण के सापेक्ष क्षेत्र के मूल्यांकन की कार्यवाही करने और उपशमन उपायों की गुंजाइश और उनकी व्यवहार्यता, यदि कोई हो, का सुझाव देने के लिए स्थल मूल्यांकन करना।

II ग्राम चेचट, तहसिल रामगंज मंडी, जिला - कोटा, राजस्थान में स्थित 4.0 हैक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र में (एम. एल. 95/08) में ओपेन कास्ट पद्धति द्वारा चूना पत्थर के खनन के लिए वन्यजीव अनापत्ति का प्रस्ताव

श्री निशांत वर्मा, उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, मुख्यालय, नई दिल्ली ने व्याघ्र प्रकोष्ठ को व्याघ्र प्रसार / परिक्षेपण / गलियारों के सापेक्ष उक्त प्रस्ताव का विश्लेषण करने और प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, के लिए प्रशामक उपायों का सलाह देने का अनुरोध किया।

III उत्तराखंड के गागाभोगपुर में बीन नदी पर हर मौसम के लिए उपयुक्त 200 मीटर के दो लेन आरसीसी सेतु के निर्माण का प्रस्ताव

श्री निशांत वर्मा, उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, मुख्यालय, नई दिल्ली ने व्याघ्र प्रकोष्ठ को व्याघ्र प्रसार / परिक्षेपण / गलियारों के सापेक्ष उक्त प्रस्ताव का विश्लेषण करने और प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, के लिए प्रशामक उपायों का सलाह देने का अनुरोध किया।

IV कोमारमभीम असिफाबाद और मांचेरियल जिलों में माखुदी और रेचिनि रोड रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे सीमा के अंदर मौजूदा लाइनों के साथ नयी तीसरी बीजी रेलवे लाइन बिछाने के लिए कावल टाइगर रिजर्व कागजनगर प्रभाग के टाइगर गलियारा क्षेत्र में पड़ने वाली 168.43 हैक्टेयर वन भूमि का अन्य उपयोग (डाइवर्जन)

श्री निशांत वर्मा, उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, मुख्यालय, नई दिल्ली ने व्याघ्र प्रकोष्ठ को व्याघ्र प्रसार / परिक्षेपण / गलियारों के सापेक्ष उक्त प्रस्ताव का शीघ्रातिशीघ्र विश्लेषण करने और प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, के लिए प्रशामक उपायों का सलाह देने और इस प्राधिकरण को शीघ्रताशीघ्र टिप्पणियां/आकलन भेजने का अनुरोध किया।

V तहसील तिरोदा, जिला गोंडिया - नावेगां - नाजिरा टाइगर रिजर्व (प्रतिरोधक एवं ईएसजेड क्षेत्र) में निर्माण के लिए निमागांव छोटी सिंचाई टंकी 135.15 हैक्टेयर वन भूमि का अन्य उपयोग (डाइवर्जन)

श्री निशांत वर्मा, उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, मुख्यालय, नई दिल्ली को सक्षम प्राधिकारी श्री हेमंत कामडी, अपर महानिरीक्षक, एनटीसीए, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के अनुमोदन से उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में स्थल मूल्यांकन की कार्यवाही करने का निदेश दिया गया।

स्थल मूल्यांकन के निर्देश और निबंधन इस प्रकार हैं :

- बाघ प्रसार, इसके परिक्षेपण के सापेक्ष क्षेत्र के मूल्यांकन की कार्यवाही करने और उपशमन उपायों की गुंजाइश और उनकी व्यवहार्यता, यदि कोई हो, का सुझाव देने के लिए स्थल मूल्यांकन करना।

VI मायलानी - पीलीभीत गेज परिवर्तन (पैकेज 3) चै. किमी 212.520 - किमी से किमी 213.070 और किमी 242.310 - किमी 250.140 जो कुरिया - दुधियाखुर्द और संदेइ माला, उत्तर प्रदेश के बीच 8.38 किमी के क्षेत्र में आता है, के निर्माण के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व से 6.704 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि का अन्य उपयोग (डायवर्जन) हेतु रेल विकास निगम लिमिटेड का प्रस्ताव।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ऊपर उल्लिखित विषय के संबंध में स्थल मूल्यांकन की कार्यवाही करने हेतु निम्नवत एक दल का गठन किया गया था :

(क) श्री निशांत वर्मा, डीआईजीएफ, एनटीसीए, मुख्यालय, नई दिल्ली

(ख) डॉ. कौशिक बनर्जी, वैज्ञानिक, टाइगर प्रकोष्ठ, डब्ल्यू II, देहरादून।

स्थल मूल्यांकन के निर्देश और निबंधन इस प्रकार हैं :

- बाघ प्रसार, इसके परिक्षेपण के सापेक्ष क्षेत्र के मूल्यांकन की कार्यवाही करना और उपशमन उपायों का सुझाव देना।

VII राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड के प्रतिरोधक (बफर) क्षेत्र में आने वाले लालधंग से चिल्लारखाल रोड तक सुदृढीकरण और ब्लैक टॉपिंग का प्रस्ताव।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ऊपर उल्लिखित विषय के संबंध में स्थल मूल्यांकन की कार्यवाही करने हेतु निम्नवत एक दल का गठन किया गया था :

(क) डॉ. बिभास पांडव, वैज्ञानिक, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून।
(ख) डॉ. कौशिक बनर्जी, वैज्ञानिक, टाइगर प्रकोष्ठ, डब्ल्यू II, देहरादून।

स्थल मूल्यांकन के निर्देश और निबंधन इस प्रकार हैं :

- बाघ प्रसार, इसके परिक्षेपण के सापेक्ष क्षेत्र के मूल्यांकन की कार्यवाही करना और उपशमन उपायों का सुझाव देना।

VIII ऊर्जा विभाग, अरूणाचल प्रदेश की ओर से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अरूणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिला में रिलो (पक्के केस्सांग) - सिजोसा 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए डायवर्जन हेतु वन्य जीव अनापत्ति का प्रस्ताव।

श्री निशांत वर्मा, उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, मुख्यालय, नई दिल्ली ने व्याघ्र प्रकोष्ठ को व्याघ्र प्रसार / परिक्षेपण / गलियारों के सापेक्ष उक्त प्रस्ताव का शीघ्रातिशीघ्र विश्लेषण करने और प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, के लिए प्रशामक उपायों का सलाह देने और इस प्राधिकरण को टिप्पणियां / मूल्यांकन रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया।

******

अध्याय V : प्रशासनिक मामले

सदस्य सचिव को अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की अवस्थापना में 15 नियमित / 39 संविदा आधारित प्रशासनिक कार्मिक हैं। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की कार्यालय अवस्थापना से संबंधित पदों और पदधारियों (2019-20) का ब्यौरा इस प्रकार है:

एनटीसीए मुख्यालय में एनटीसीए अधिकारियों और कर्मचारियों (स्थायी आधार पर) का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	पदधारी का नाम	पे बैंड / वेतन (रु.)
मुख्यालय			
1.	सदस्य सचिव	डॉ. अनुप कुमार नायक	एचएजी + वेतनमान रुपये. 75,500 - 80000/- (संशोधन पूर्व)
2.	वन महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	डॉ. अमित मल्लिक	पीबी - 4 (ग्रेड पे रु. 10,000 /-)
3.	उप महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	श्री निशांत वर्मा	पीबी - 4 (ग्रेड पे रु. 10,000/-)
4.	उप महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	श्री सुरेन्द्र मेहरा	पीबी - 4 (ग्रेड पे रु. 10,000/-)
5.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	डॉ. वैभव सी. माथुर	पीबी - 3 (ग्रेड पे रु. 7,600/-)
6.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	रिक्त	पीबी - 3 (ग्रेड पे रु. 7,600/-)
7.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	रिक्त	पीबी - 4 (ग्रेड पे रु. 8,700/-)
8.	उप निदेशक (वित्त) (एनटीसीए - मुख्यालय)	श्री विनय कुमार शर्मा	पीबी - 3 (ग्रेड पे रु. 6,600 / -)
9.	निजी सचिव	रिक्त	पीबी - 2 (ग्रेड पे रु.4,800 /)
10.	अनुभाग अधिकारी	रिक्त	पीबी - 2 (ग्रेड पे रु.4,800/-)
11.	सहायक	रिक्त	पीबी - 2 (ग्रेड पे रु. 4,600/-)
12.	स्टाफ कार चालक	रिक्त	पीबी -1 (ग्रेड पे रु.2,800/-)
13.	चौकीदार	श्री मदन सिंह	पीबी -1 (ग्रेड पे रु.2,400/-)

14.	चौकीदार	श्री सुरेश पंडित	पीबी -1 (ग्रेड पे रु.2,400/-)

एनटीसीए क्षेत्रीय कार्यालयों के एनटीसीए अधिकारियों (स्थायी आधार पर) के विवरण

	क्षेत्रीय कार्यालय (गुवाहाटी)		
15.	वन महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	श्री डब्ल्यू. लौंग्वा	पीबी - 4 (ग्रेड पे रु. 10,000 / -)
16.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	रिक्त	पीबी - 4 (ग्रेड पे रु. 8,700/-)
17.	**क्षेत्रीय कार्यालय (नागपुर)**		
	वन महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर	रिक्त	पीबी - 4 (ग्रेड पे रु. 10,000/-)
18.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर	श्री हेमंत कामदी भास्कर	पीबी -4 (ग्रेड पे रु. 7,600/-)
19.	**क्षेत्रीय कार्यालय (बैंगलोर)**		
	वन महानिरीक्षक (एनटीसीए) बंगलौर	श्री एन एस मुरली	पीबी - 4 (ग्रेड पे रु. 10,000/-)
20.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर	श्री राजेंद्र जी गरवाड़	पीबी -3 (ग्रेड पे रु. 8,900/-)

मुख्यालय के एनटीसीए कर्मचारियों (आउटसोर्स के आधार पर) के विवरण

क्र.सं.	**पद**	**पदधारी का नाम**	**वेतन**
एनटीसीए मुख्यालय, नई दिल्ली			
1.	लेखाकार	आशीष हरबोला	रुपये 30,300/ -
2.	डाटा विश्लेषक	कुंदन कुमार	रुपये 35,400/-
3.	डाटा इंट्री ऑपरेटर	शीतल बिष्ट	रुपये 35,400 / -
4.	डाटा इंट्री ऑपरेटर	स्वाति कश्यप	रुपये. 20,790 / -
5.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	ख़ुशी राम	रुपये 21,215 / -
6.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	धीरेंद्र कुमार पांडे	रुपये 19,385 / -
7.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	आरती	रुपये 19,572 / -
8.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	राहुल भंडारी	रुपये 19,572 / -
9.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	मोनिका	रुपये 19,572 / -

10.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	अंकित कुमार	रुपये 19,572 / -
11.	कार्यालय सहायक	लक्ष्मण सिंह	रुपये 30,143 / -
12.	कार्यालय सहायक	मुकेश कुमार	रुपये 30,143 / -
13.	डिस्पैचर	राधा	रुपये 30,143 / -
14.	ड्राइवर	मो. अकबर	रुपये 22,977 / -
15.	ड्राइवर	सिया राम	रुपये 20,986 / -
16.	संदेशवाहक	शिव सिंह	रुपये 21,720 / -
17.	ऑफिस ब्वॉय	दीपक सिंह	रुपये 17,688 / -
18	एमटीएस	राजिन्दर	रुपये 17,688 / -
19	सफाई कर्मचारी	राहुल	रुपये 15,050 / -
एनटीसीए, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी			
20	वन्यजीव जीव विज्ञानी	अगथा सी मोमिन	रुपये 29,400 / -
21	लेखापाल	दूरदर्शनी	रुपये 24,751 / -
22	डाटा एंट्री असिस्टेंट	जीतूमणि महंता	रुपये 18,462 / -
23	चपरासी	अमर दोर्जी	रुपये 15,050 / -
24	चौकीदार	माइकल कुमार राभा	रुपये 15,050 / -
एनटीसीए, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर			
25.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	कृनाल रमेश	रुपये 18,462 / -
26.	चपरासी	योगेश जी. सकरडे	रुपये 15,050 /-
27.	चौकीदार	राहुल खडसे	रुपये 15,050 /-
28.	चौकीदार	धीरज श्रवण राउत	रुपये 15,050 /-
एनटीसीए, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु			
29.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	राधा	रुपये 18,462 /
30.	चौकीदार	धनज्योति डेका	रुपये 15,050 / -
31.	चपरासी	अनिल डेका	रुपये 15,050 / -
32.	चपरासी	बोरदोलोइ	रुपये 15,050 / -

व्याघ्र संरक्षण के लिए उल्लेखनीय पहल

व्याघ्र और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण और प्रतिरक्षण के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उल्लेखनीय पहलें की गयीं

विधिक कदम

1. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के खण्ड 38 IV ख के तहत राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण और खण्ड 38 IV ग के तहत व्याघ्र और अन्य विलुप्त होती प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन करने हेतु समर्थकारी प्रावधान शामिल करने के लिए वर्ष 2006 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया।

2. किसी टाइगर रिजर्व के मूल क्षेत्र में किए गए अपराध अथवा टाइगर रिजर्व में आखेट करने से संबंधित अपराध अथवा टाइगर रिजर्व की सीमाओं में परिवर्तन करने इत्यादि से संबंधित अपराध में दिए जाने वाले दण्ड में वृद्धि की गई है।

3. 15 अक्तूबर, 2012 को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ण 1(ग) के तहत व्याघ्र परियोजना एवं टाइगर रिजर्वों में पर्यटन संबंधी व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए।

<u>प्रशासनिक कदम</u>

1. अन्य बातों के साथ-साथ टाइगर रिजर्व प्रबंधन में निर्देशात्मक मानकों को सुनिश्चित करके, आरक्षित क्षेत्र विनिर्दिष्ट व्याघ्र संरक्षण योजना तैयार कर, संसद को वार्षिक/लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन कर और व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना कर व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए दिनांक 4 सितम्बर, 2006 को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) का गठन किया गया।

2. वन्य जीवों के अवैध व्यापार को कारगर ढंग से रोकने के लिए 6 जून, 2007 को बहु - विषयक व्याघ्र और अन्य विलुप्त हो रही प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया गया।

3. संचार और बेतार सुविधाओं को सुदृढ़ करने के अलावा स्थानीय जनता को शामिल करके कार्यबल गठित करने, टाइगर रिजर्व वाले राज्यों की ओर से पूर्व-सैनिक कार्मिकों अथवा होमगार्ड्स को शामिल करके व्याघ्र आखेट रोधी दस्ते को तैनात करने के लिए यथा-प्रस्तावित वित्तीय सहायता प्रदान करके मानसून के मौसम में गश्त की विशेष कार्यनीति सहित व्याघ्र आखेट रोधी कार्यकलापों को सुदृढ़ किया गया है।

4. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने सैद्धांतिक रूप से नए टाइगर रिजर्वों के लिए अनुमोदन प्रदान किया है, और ये स्थान हैं: सुनाबेदा (ओडिशा), नंधौर (उत्तराखंड) और गुरू घासीदास (छत्तीसगढ़) है। राज्य सरकारों को निम्नलिखित क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई है : (i) म्हादेई वन्य जीव अभ्यारण्य (गोवा) (ii) श्रीविल्लीपुथुर ग्रिजल्ड जाइंट स्क्वैरल/मेगामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य / वर्शुनादु घाटी (तमिलनाडु), (iii) दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य (अरूणाचल प्रदेश) (iv) कावेरी - एम. एम. हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य (कर्नाटक) और (v) नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य (उत्तराखंड)

5. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान (उत्तरांखंड), ओरांग राष्ट्रीय उद्यान (असम) एवं कामलांग वन्य जीव अभ्यारण्य (अरुणाचल प्रदेश) को क्रमश: 48वें, 49वें और 50वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है।

6. व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को संशोधित व्याघ्र परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ चालू कार्यकलापों के अतिरिक्त टाइगर रिजर्व के मुख्य अथवा नाजुक व्याघ्र पर्यावास में रहने वाले व्यक्तियों के लिए बढ़ा हुआ ग्राम पुनर्स्थापन या पुनर्वास पैकेज (1 लाख रूपए प्रति परिवार से लेकर 10 लाख रूपए प्रति परिवार तक) के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता, परम्परागत आखेट में संलिप्त समुदायों का पुनर्वास अथवा पुनर्स्थापना, टाइगर रिजर्व के बाहर मुख्य धारा में जीवन-यापन और वन्यजीव सरोकार और प्राकृत्वास विखण्डन को रोकने के लिए पुन: बहाली कार्यनीति के माध्यम से कोरिडोर संरक्षण का पोषण करना शामिल है।

7. व्याघ्र का आकलन करने के लिए (सह-परभक्षी, भक्ष्य पशु और प्राकृत्वास प्रस्थिति के मूल्यांकन सहित) वैज्ञानिक पद्धति विकसित की गई है तथा इसे मुख्यधारा में शामिल किया गया है। इस आकलन और मूल्यांकन के निष्कर्षों को भावी व्याघ्र संरक्षण कार्यनीतियों के लिए बेंचमार्क बनाया गया है।

8. वर्ष 2006 में यथा-संशोधित, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के खण्ड 38फ के तहत 18 व्याघ्र राज्यों ने देश के सभी 50 टाइगर रिजर्वों के मूल / नाजुक व्याघ्र प्राकृत्वास (40,145.30 वर्ग कि.मी.) और बफर / उपांत क्षेत्र (32,603.72 वर्ग कि.मी.) को अधिसूचित कर दिया है।

9. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर, बेंगलुरु और गुवाहाटी में कार्यात्मक हो गए हैं, जो वन महानिरीक्षक के नेतृत्व में कार्य कर रहें हैं।

<u>वित्तीय कदम</u>

1. वन्य जीवों के प्रभावी संरक्षण की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को उनकी क्षमता और अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए **"व्याघ्र परियोजना"** और **"एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास**" जैसी विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

<u>अंतर्राष्ट्रीय सहयोग</u>

1. भारत का चीन के साथ व्याघ्र संरक्षण के संबंध में संलेख (प्रोटोकॉल) के अतिरिक्त वन्यजीव के सीमापार अवैध व्यापार को रोकने के लिए नेपाल के साथ द्विपक्षीय समझौता है।
2. सुन्दरबन के रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए बंग्लादेश के साथ सितम्बर, 2011 में एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
3. रूसी संघ के साथ सहयोग हेतु व्याघ्र और तेंदुआ संरक्षण के लिए एक उप-समूह गठित किया गया है। सितंबर, 2018 में मास्को में भारत - रूसी द्विपक्षीय बैठक की गयी थी, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय वन्य जीव संस्थान और ए. एन. सेवेरस्तोव इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इवेलुएशन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया था और दिनांक 4.12.2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।
4. भारत व्याघ्र संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान करने के लिए व्याघ्र क्षेत्र देशों के वैश्विक व्याघ्र मंच का संस्थापक-सदस्य है।
5. हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित सी. आई. टी. ई. एस. के पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं बैठक के दौरान भारत ने चीन, नेपाल और रूसी संघ के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाणिज्यिक स्तर पर व्याघ्र प्रजनन अभियान चलाने वाले पक्षकारों को इस प्रकार की अधिकतम सीमा को उस स्तर तक सीमित रखने का निर्देश देने का उल्लेख किया गया जो वन्य व्याघ्र के संरक्षण में सहायक हो। कुछ संशोधन के साथ इस संकल्प को निर्णय के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त भारत ने चीन से व्याघ्र फार्मिंग को बंद करने और एशियाई बड़े बिलाव प्रजातियों के शरीर के अंगों

का संचय करने तथा कृत्रिम प्रजनन को रोकने की अपील की। व्याघ्र के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक को जारी रखने के महत्व पर जोर दिया गया।

6. वन्य प्राणी समूह और वनस्पति की विलुप्त हो रही प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में सम्मेलन की स्थाई समिति (सी.आई.टी.ई.एस.) की 23 से 27 जुलाई, 2012 तक जेनेवा में आयोजित की गई 62वीं बैठक के दौरान भारत के जोरदार हस्तक्षेप के आधार पर वन्य प्राणी समूह और वनस्पति की विलुप्त हो रही प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सम्मेलन सचिवालय ने अधिसूचना, संख्या 2012/054 दिनांक 3 सितम्बर, 2012 जारी की, जिसके माध्यम से पक्षकारों को निर्णय संख्या 14.69 पूर्णत: कार्यान्वित करने और दिनांक 25 सितम्बर, 2012 तक सचिवालय को सूचित करने के लिए (व्याघ्रों के बंदी प्रजनन कार्यकलाप को सीमित करने के बारे में की गई प्रगति इत्यादि) कहा।

7. अगस्त, 2019 में जेनेवा में आयोजित 18वीं सीओपी के दौरान, भारत के एक अंतर्क्षेप के आधार पर, उन क्षेत्रों में अंतर्क्षेप करने पर कुछ निर्णय अंगीकृत किए गए थे जिनमें निर्णय 14.69 के प्रवर्तन के रूप में बड़े बिलाव को रखने की सुविधा थी।

8. तृतीय एशिया मंत्रालयी सम्मेलन (3 एएमसी) का आयोजन 12-14 अप्रैल, 2016 के दौरान नई दिल्ली में किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस कथन कि "व्याघ्रों का संरक्षण विकल्प नहीं है, अपितु यह एक अनिवार्यता है' से प्रेरित हो कर वर्ष 2022 तक जंगलों में व्याघ्रों और उनके पर्यावासों का संरक्षण सुनिश्चित करने के ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिये व्याघ्र रेंज राष्ट्रों (टीआरसी) के सरकारी प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया किः

- वैश्विक व्याघ्र पुन:प्राप्ति कार्यक्रम (जीटीआरपी) / राष्ट्रीय व्याघ्र पुन:प्राप्ति कार्यक्रम (एनटीआरपी) और ऊपर उल्लिखित घोषणाओं से सहमत कार्रवाइयों के **कार्यान्वयन में तेजी लायेंगे**, प्राथमिकता और विभेदीकरण वाली कार्ययोजनाओं की समीक्षा करेंगे तथा उन्हें अद्यतन करेंगे और पारस्परिक और सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के माध्यम से प्रगति पर नजर रखेंगे।
- व्याघ्र संरक्षण के सरोकारों को मुख्य धारा में लाने के लिये विकास कार्यनीतियों के पुनर्भिविन्यास द्वारा पारस्परिक संपूरक रीति से **विकास और व्याघ्र संरक्षण को साथ-साथ** लेकर चलेंगे, जैसे कि भूदृश्य स्तर पर अवसंरचना में व्याघ्र और वन्यजीव सुरक्षोपाय एकीकरण, व्यापारी समूहों के साथ सहभागिता विकसित करना तथा स्थानीय हितधारकों के साथ मजबूत सहलग्नता।

- टीआरसी सरकारों के अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों, संघों, सिविल सोसाइटी संगठनों, निजी क्षेत्र और जलवायु निधियों से **निधियन और तकनीकी सहायता का इस्तेमाल करेंगे**।
- **व्याघ्र पर्यावासों को पारिप्रणाली सेवाएं प्रदान करने, आर्थिक विकास तथा जलवायु परिवर्तन का निराकरण करने में सहायता प्रदान करने वाले इंजन के रूप में प्रचारित करके** इनके महत्व को मान्यता देंगे और इनका संवर्धन करेंगे।
- व्याघ्रों को पुनर्स्थापित करने तथा उनके पर्यावासों और भक्ष्य पशु को पुनर्वासित करने संबंधी सफल कार्यक्रमों का उपयोग करते हुये **कम व्याघ्र घनत्व वाले क्षेत्रों में व्याघ्रों की संख्या की पुनर्बहाली करेंगे** तथा ऐसे क्षेत्रों में पुरानी स्थिति बहाल करेंगे, जहां पर ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं।
- वन्यजीव अपराध को कम करने, व्याघ्र उत्पादों की मांग का निराकरण करने तथा औपचारिक और अनौपचारिक सीमापारीय समन्वय में वृद्धि करने हेतु **सरकार के उच्चतम स्तरों पर सहयोग को सुदृढ़ करेंगे।**
- **सभी हितधारकों के लिए ज्ञान साझाकरण में वृद्धि करेंगे तथा क्षमता निर्माण में संवर्धन करेंगे** और स्मार्ट उपकरणों, निगरानी प्रोटोकॉल्स और सूचना प्रणालियों सहित प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ायेंगे।

अन्य विविध कदम

1. **विशेष व्याघ्र संरक्षण बल का सृजन (एस.टी.पी.एफ.)** : चालू केन्द्र प्रायोजित स्कीम व्याघ्र परियोजना के तहत 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से प्रारंभ में चयनित 13 टाइगर रिजर्वों में से कर्नाटक (बांदीपुर), महाराष्ट्र (पेंच और तदोबा-अंधेरी, नवेगॉव-नागजिरा), राजस्थान (रणथम्भौर) और ओडिशा (सिमिलिपाल) राज्यों में विशेष व्याघ्र संरक्षण बल (एस.टी.पी.एफ.) को सक्रिय किया गया है। *****
2. ट्रैफिक-इंडिया के सहयोग से **ऑनलाइन व्याघ्र मर्त्यता डाटाबेस** शुरू किया गया है और आरक्षित क्षेत्र विशिष्ट सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, जो अति महत्वपूर्ण व्याघ्र संरक्षण योजना में अवैध भक्ष्य पशु रणनीतियों के लिए आधार बनते है।
3. व्याघ्र राज्यों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के क्रियान्वयन को व्याघ्र संरक्षण पहलों के कारगर क्रियान्वयन के लिए निधि प्रवाह से जोड़ दिया गया है।
4. प्रभावी क्षेत्र गश्त और निगरानी के लिए 'व्याघ्र निगरानी प्रणाली-गहन संरक्षण और पारिस्थितिकी प्रस्थिति' (एम-स्ट्राइप्स) शुरू करने के अलावा अवसंरचना और क्षेत्र संरक्षण

को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। एम-स्ट्राइप्स अनुप्रयोग को तीन विशिष्ट मॉड्यूलों अर्थात गश्त, पारिस्थितिकी और संघर्ष के साथ एंड्रॉयड आधारित बनाया गया है।

5. प्रोत्साहन प्रदान करने के अलावा क्षेत्रीय पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण के माध्यम से क्षेत्र डिलिवरी में सुधार करने की पहल की गई है।

6. सरिस्का एवं पन्ना टाइगर रिजर्वों, जहॉ व्याघ्र स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए हैं, के पुनर्निर्माण के लिए सक्रिय प्रबंधन के भाग के रूप में बाघ एवं बाघिनों को पुनः छोड़ा गया है। पन्ना में वन्य बाघों का सफलतापूर्वक पुनर्स्थापन विश्व में अपने तरह की पहली एवं अनूठी घटना है। पुनर्स्थापित बाघिनें प्रजनन कर रही है।

7. **अखिल भारतीय व्याघ्र, सह-भक्षी और भक्ष्य आकलन, 2018** :- राष्ट्र स्तरीय व्याघ्र प्रस्थिति मूल्यांकन का चौथा चक्र वर्ष 2018 में पूरा किया गया है जिसमें वर्ष 2014 के राष्ट्र स्तरीय आकलन के अनुमानित 2226 (निचली और ऊपरी सीमा क्रमश: 1945 और 2491), वर्ष 2010 के आकलन में अनुमानित 1706 (निचली और ऊपरी सीमा क्रमश: 1507 और 1896) और वर्ष 2006 के आकलन में अनुमानित 1411 (निचली और ऊपरी सीमा क्रमश: 1165 और 1657) की तुलना में वर्ष 2018 के आकलन में अनुमानित व्याघ्र संख्या 2967 (निचली और ऊपरी सीमा क्रमश: 2603 और 2226) के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। विश्व के 13 व्याघ्र क्षेत्र देशों में से इस समय भारत में लगभग 75 प्रतिशत व्याघ्र आबादी और इसका स्रोत क्षेत्र है तथा ऐसा व्याघ्र परियोजना के माध्यम से इस प्रजाति का लम्बे समय से संरक्षण किए जाने के कारण (देश का 2.21 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र 18 राज्यों के 50 टाइगर रिजर्वों में फैला हुआ है) संभव हो पाया है।

8. **प्रबंधन प्रभाविता मूल्यांकन (एमईई) :** जुलाई, 2019 में टाइगर रिजर्वों के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एम.ई.ई.) से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 50 टाइगर रिजर्वों के लिए वर्ष 2018 में संशोधित मानदण्ड के आधार पर स्वतंत्र मूल्यांकन का चौथा चक्र शामिल है। 50 टाइगर रिजर्वों में से 21 को 'बहुत अच्छा', 17 को 'अच्छा' और 12 को 'साधारण' श्रेणी के तहत रखा गया।

9 समस्याग्रस्त क्षेत्रों में मानव - व्याघ्र संघर्ष के उपशमन के लिए विशेष सहायता प्रदान करना

10. **मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) :** वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, राज्यों के पदाधिकारियों तथा विशेषज्ञों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, व्याघ्र परियोजना / राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सलाह के आधार पर व्याघ्र की मौतों से निपटने के लिए एक 'मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि' जारी की गयी है, जिसको वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए परिष्कृत किया गया है।

- मानव बहुल भूभाग में बहक वाले बाघों से निपटने के लिए 'मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि' जारी की गई है।
- व्याघ्र / तेंदुआ के शव / शरीर के भागों का निपटान करने की एक 'मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि' जारी की गई है।
- टाइगर रिजर्व में वृद्ध/चोटिल बाघों और पिंजडे में रखे गए/छोड़े गए व्याघ्र शावकों से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए एक 'मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि' जारी की गई है।
- पशुधन पर व्याघ्र कारित विनाश से निपटने के लिए एक 'मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि' जारी की गई है।
- राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा ऐसे टाइगर रिजर्व जिनकी सीमाएं परस्पर सटी हैं, उनके मध्य अंतरराज्यीय समन्वयन हेतु एक मानक परिचालन प्रक्रियाविधि जारी की है।
- भू-भाग स्तर पर स्रोत क्षेत्रों से व्याघ्र के पुनर्वास के सक्रिय प्रबंधन के लिए एक 'मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि' जारी की गई है।

11. टाइगर रिजर्व स्तरीय चरण-IV, कैमरा निगरानी का उपयोग करके व्याघ्र की सतत् निगरानी करना और अलग-अलग बाघों के फोटो लेकर डाटा सृजन कार्य संस्थागत किया गया है।

12. अलग-अलग बाघों की कैमरा निगरानी फोटो आई.डी. का राष्ट्रीय संग्रह तैयार कर लिया गया है।

13. भटक जाने वाले बाघों से निपटने के प्रयोजन से फील्ड अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए फील्ड स्तरीय कार्यशाला।

14. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (उत्तराखण्ड) में ई-निगरानी परियोजना पूरी करने के उपरांत काजीरंगा टाइगर रिजर्व (असम) और रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य (मध्य प्रदेश) के सीमावर्ती क्षेत्र में 24X7 ई-निगरानी की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सहायता (100 प्रतिशत) प्रदान की गई है।

15. टाइगर रिजर्वों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारि-प्रणाली सेवाओं के मूल्य का आकलन करने के लिए और जलवायु परिवर्तन उपशमन में उनके सामर्थ्य का आकलन करने के लिए भारतीय वन प्रबंध संस्थान के सहयोग से **सोलह टाइगर रिजर्वों का आर्थिक मूल्यांकन** किया गया है।

16. भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से पन्ना टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश) में निगरानी के लिए मानव रहित हवाई यान का परीक्षण किया गया एवं अब इसका विस्तार अन्य 13

टाइगर रिजर्वों में किया जा रहा है। फ्रंटलाइन कर्मचारियों का क्षमता निर्माण किया गया है और पन्ना टाइगर रिजर्व को इस उपकरण का प्रथम सेट सौंप दिया गया है।

17. भारतीय वन सर्वेक्षण के सहयोग से शिवालिक-गंगा मैदानी भू-भाग के टाइगर रिजर्वों में और उसके आसपास वन आच्छादन की प्रस्थिति, घनत्व और परिवर्तन का मूल्यांकन किया गया है।

18. सुंदरबन में व्याघ्र प्रस्थिति के मूल्यांकन पर बांग्लादेश की एक संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है।

19. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने टाइगर रिजर्वों में एक ऑनलाइन व्याघ्र / वन्य जीव अपराध ट्रैकिंग / रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित की है।

20. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर, एनटीसीए की सुरक्षा संपरीक्षा फ्रेमवर्क को सभी टाइगर रिजर्वों में क्रियान्वित करने के लिए विधिमान्य किया गया है। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से 25 टाइगर रिजर्वों के सुरक्षा प्रोटोकॉल का मूल्यांकन किया गया है।

21. टाइगर रिजर्वों के बाहर व्याघ्र बहुल क्षेत्रों की स्थिति का आकलन करने के लिए, सीए।टीएस (आश्वस्त संरक्षण | व्याघ्र मानक) ढांचे का उपयोग किया जा रहा है, जो ऐसे क्षेत्रों में प्रबंधन मध्यवर्तनों में अपर्याप्तता की पहचान करने में मदद करता है ताकि उपयुक्त रणनीतियों के माध्यम से इन कमियों को दूर किया जा सके। सीए।टीएस प्रमाण-पत्र से प्रत्यायित विश्व के 4 स्थलों में से 2 भारत में हैं, जिनका नाम है, रामनगर और लैसडाउने वन प्रभाग, उत्तराखंड।

22. नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ एक उप-महाद्वीपीय स्तर की व्याघ्र आकलन रिपोर्ट लाने के लिए एक पहल की गई है।

23. उच्च तुंगता भू-भाग में व्याघ्रों के अधिभोग का आकलन करने के लिए ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ एक सहयोगात्मक परियोजना शुरू की गयी है।

टाइगर रिजर्वों की सुरक्षा संपरीक्षा

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (वर्ष 2006 में यथा संशोधित) के अनुसार, भारत में प्रत्येक टीआर से एक व्याघ्र संरक्षण योजना तैयार करना अपेक्षित होती है, जिसमें "संरक्षण" एक प्रमुख घटक होता है। एनटीसीए ने आरक्षित क्षेत्र विशिष्ट सुरक्षा योजनाओं (एसपी) के लिए सामान्य दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जो टीसीपी के भाग हैं। एनटीसीए की सुरक्षा योजना प्रोटोकॉल दो टाइगर रिजर्वों, अर्थात् मध्य प्रदेश में - कान्हा और ओडिशा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व में जीटीएफ दल द्वारा किए गए प्रोटोकॉल सत्यापन प्रक्रिया पर आधारित हैं।

सुरक्षा संपरीक्षा मूलत: विभिन्न खतरों/आशंकाओं का हल निकालने के लिए किसी क्षेत्र संरचना की तैयारी का आकलन करने का कार्य है। सुरक्षा संपरीक्षा का कार्य पिछले वित्तीय वर्ष (2018-19) में शुरू किया गया और इसमें निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया :

1. टाइगर रिजर्वों की सुरक्षा संपरीक्षा हेतु दलों का गठन और प्रशिक्षण।
2. क्षेत्र निदेशकों द्वारा टाइगर रिजर्वों के लिए सुरक्षा संपरीक्षा नोडल बिन्दु का निर्धारण, सुरक्षा संपरीक्षा दल सुरक्षा संपरीक्षा योजना पर नोडल बिन्दु से कार्य करते हैं।
3. टाइगर रिजर्व में परामर्श कार्यशाला जिसमें अधिकतम संभव संख्या में कर्मचारी प्रतिभागिता करते हैं। इस कार्यशाला के लिए अपेक्षित प्रतिभागियों में क्षेत्र निदेशक, मंडल वन अधिकारी / उप-निदेश, सहायक वन संरक्षक / रेंज अधिकारी, उप-रेंज अधिकारी, और वन प्रहरी शामिल हैं।
4. आखेट रोधी शिविरों / रैंज अधिकारियों / चेक पोस्ट का सत्यापन (कम से कम 50 प्रतिशत)। टाइगर रिजर्व की क्षेत्र संपरीक्षा में 2 से 5 दिन लगेंगे और उसके बाद समर्थनकारी अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा।
5. टाइगर रिजर्व की सुरक्षा संपरीक्षा का परितुलन / अंतिम रूप दिया जाना।

ऊपर उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, निम्नलिखित टाइगर रिजर्वों की सुरक्षा संपरीक्षा संपन्न की गयी है :

I. काजीरंगा टाइगर रिजर्व

II. मानस टाइगर रिजर्व

III. ओरंग टाइगर रिजर्व

IV. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व

V. बांदीपुर टाइगर रिजर्व

VI. बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व

VII. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व

VIII. पन्ना टाइगर रिजर्व

IX. पेंच टाइगर रिजर्व

X. संजय-डुबरी टाइगर रिजर्व

XI. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व

XII. मेलघाट टाइगर रिजर्व

XIII. नवेगांव-नागजिरा टाइगर रिजर्व

XIV. पेंच टाइगर रिजर्व

XV. तडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व

XVI. सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व

XVII. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व

XVIII. रणथंभौर टाइगर रिजर्व

XIX. सरिस्का टाइगर रिजर्व

XX. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व

XXI. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व

XXII. राजाजी टाइगर रिजर्व

XXIII. दुधवा टाइगर रिजर्व

XXIV. पीलीभीत टाइगर रिजर्व

XXV. सुंदरवन टाइगर रिजर्व

वर्ष के दौरान आयोजित अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

क्र.सं.	कार्यक्रम	स्थान एवं तिथि
1.	वैश्विक व्याघ्र दिवस उत्सव, जुलाई, 2019 का आयोजन और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा अखिल भारत व्याघ्र आकलन - 2018 के प्राथमिक परिणामों का लोकार्पण	एमओईएफएंडसीसी / पीएमओ आवास जुलाई, 2019
2.	अंतर्राज्यीय भू-भाग के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अधिकारियों का अंतर्राज्यीय समन्वयन	नोपाडा, ओडिशा, 22 अगस्त 2019
3.	तदोबा - अंधारी टाइगर रिजर्व में अंतर्राज्यीय बैठक	3 अप्रेल, 2019
4.	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, टाइगर रेंज राज्यों और क्षेत्र निदेशक, टाइगर रिजर्व की बैठक	विज्ञान भवन, नई दिल्ली, 14 एवं 15 नवंबर, 2019
5.	मानव - व्याघ्र संघर्ष के प्रभावी प्रबंधन विषय पर कार्यशाला	16 नवंबर, 2019
6.	एसओपी/ दिशानिर्देशों का मोचन (वन्यजीव	नवंबर, 2019

	(संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (ण) के अंतर्गत)	
7.	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 16वीं बैठक	3 सितंबर, 2019
8.	इंडिया पैवेलियन - ग्रेटर नोएडा में यूएनसीसीडी सीओपी 14 में प्रतिभागिता की	2 से 13 सितंबर, 2019
9.	व्याघ्र प्रबंधन संरक्षण, संरक्षण एवं निगरानी विषय पर वर्टिकल प्रशिक्षण / क्षमता निर्माण का आयोजन	16 से 17 सितंबर, 2019, पलामू टाइगर रिजर्व
10.	एनटीसीए की पुनर्गठित प्रशासनिक समिति की प्रथम बैठक	25 अक्तूबर, 2019, एनटीसीए सम्मेलन कक्ष
11.	माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में एनटीसीए की 17वीं बैठक	6 जनवरी, 2020 महानदी सम्मेलन कक्ष, आईपीबी, नई दिल्ली
12.	सीओपी - 13, सीएमएस में भारतीय पैवेलियन में प्रतिभागिता की	फरवरी, 2020, गांधी नगर, गुजरात

पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन :

वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक की अवधि के लिए एनटीसीए का बजट आवंटन नीचे दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष के बजट में 6,843 लाख रुपये की कमी आयी है।

(लाख रुपये में)

शीर्ष	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	
एनटीसीए	1000.00	1000.00	900.00	
सीएसएस (पीटी)	34500.00	35000.00	28,257.00	
कुल	**35500.00**	**36000.00**	**29,157.00**	

****

अध्याय VI : राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2019-20 के वित्त और लेखे

क्र. सं.	प्राप्तियां	राशि	भुगतान	राशि (रुपये में)
1.	अग्रदाय राशि :	1,20,000	व्यय	8,08,72,592
2.	बैंक शेष : (i) जमा खाता (ii) बचत बैंक खाता	74,49,460	परियोजनाओं और प्रशिक्षण कार्यशालाओं और सम्मेलनों के लिए निधि	8,42,604
3.	प्राप्त ब्याज	3,27,324	अचल आस्तियों पर व्यय	5,72,900
4.	अग्रिम की वसूली	14,08,185	वित्त प्रभार : जमा किया ब्याज	11,28,194
5.	प्रतिभूति जमा राशि		वसूली योग्य अग्रिम	6,93,584
6.	एनटीसीए को अनुदान सहायता	8,49,86,937	अग्रिम	1,75,000
7.	बिक्री राशि आस्तियां	6,000	बैंक शेष :- जमा खाता	---
8.	विविध प्राप्तियां		बैंक शेष :- बचत खाता	1,00,13,032
9.	--	--	भारत सरकार को आधिक्य राशि की वापसी	
	कुल	**9,42,97,903**	**कुल**	**9,42,97,903**

****

अध्याय VII : राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक योजना

1. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा गठित किए गए कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन करने के लिए अलग से एक अध्याय (अध्याय IVख) जोड़ने हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है। 4 सितंबर, 2006 से उक्त प्राधिकरण का गठन कर लिया गया है।

2. वर्ष 2006 में यथा-संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ण के तहत एनटीसीए के प्रकार्य तय किए गए है। एनटीसीए पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों और विलुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण के लिए सुदृढ़ सांस्थानिक तंत्र की व्यवस्था करने के अतिरिक्त टाइगर रिजर्वों के संरक्षण को सांविधिक आधार प्रदान करके व्याघ्र संरक्षण से संबंधित पारिस्थितिकीय और प्रशासनिक सरोकारों का समाधान करेगा। प्राधिकरण पिछले बेहतर रिकार्ड रखने वाले सक्षम और प्रशिक्षित अधिकारियों को टाइगर रिजर्वों के क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त करने के अतिरिक्त व्याघ्र संरक्षण के दिशानिर्देशों को लागू करना तथा इनके अनुपालन की निगरानी को भी सुनिश्चित करेगा। यह समयबद्ध कर्मचारी विकास योजना के अतिरिक्त टाइगर रिजर्वों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करेगा।

3. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान एनटीसीए को सहायता-अनुदान के रूप में 900.00 लाख रूपए की राशि प्रदान की गई है।

4. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 वर्ष 2006 में किए गए संशोधन को दिनांक 04.09.2006 से प्रवृत्त किए जाने के परिणामस्वरूप इस अधिनियम की धारा 38 ढ के तहत समर्थकारी प्रावधानों के आधार पर पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना क्षमता पर वहन किए जा रहे और व्याघ्र परियोजना में कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को एनटीसीए को अंतरित किया गया है।

5. एनटीसीए मुख्यालय और इसके नागपुर, गुवाहाटी और बंगलौर क्षेत्रीय कार्यालयों में संस्वीकृत पदों का ब्यौरा इस प्रकार है :

एनटीसीए मुख्यालय

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
1.	सहायक वन महानिदेशक वन (व्याघ्र परियोजना) और	1

	सदस्य-सचिव (एनटीसीए)	
2.	वन महानिरीक्षक	1
3.	वन उप-महानिरीक्षक	2
4.	सहायक वन महानिरीक्षक,	4
5.	उप-निदेशक (वित्त)	1
	कुल	**9**

<u>एनटीसीए क्षेत्रीय कार्यालय (नागपुर, गुवाहाटी और बंगलौर)</u>

क्र.सं.	**पद का नाम**	**पदों की संख्या**
1.	वन महानिरीक्षक	3
2.	सहायक वन महानिरीक्षक,	3
	कुल	**6**

6. वर्ष 2006 में यथा-संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38थ के तहत एनटीसीए के लिए अनुदान/ऋण इत्यादि जमा करने के लिए व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण कोष नामक एक कोष तैयार करने की व्यवस्था की गई है।

7. धारा 63 (छ iv) और (छ v) में उक्त वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के क्रमश: धारा 38 द और 38 ध के तहत एनटीसीए के लेखाओं के वार्षिक विवरण तथा इसकी वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने से संबंधित नियमों की व्यवस्था की गई है।

8. एनटीसीए की तकनीकी समिति इसकी निधियन सहायता से संविदा आधारित सेवाओं / व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित प्रस्तावों को अनुमोदित करता है। निदेशक (आईएफडी.) इस समिति के सदस्य होते हैं। किसी अपरिहार्य परिस्थिति में यदि एनटीसीए की तकनीकी समिति की बैठक में आईएफडी का कोई प्रतिनिधि नहीं हो तो प्रस्तावों को बहुमत निर्णय के आधार पर अनुमोदित किया जाता है और उक्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त के माध्यम से निर्णय के बारे में आईएफडी को अवगत कराया जाता है।

9. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के वर्ष 2019-20 के लेखाओं को संकलित कर लिया गया है। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 ड. (5) और (6) के साथ पठित सी. एण्ड ए.जी. (दायित्व, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1972 की धारा 19(2) के तहत सी.ए.जी. के प्रधान लेखा परीक्षक, विज्ञान विभाग ने एनटीसीए के लेखाओं

की अंतिम लेखापरीक्षा की थी। प्राप्तियों और भुगतान लेखाओं तथा दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अनुसूची सहित आय और व्यय लेखाओं तथा तुलनपत्र के साथ वर्ष 2019-20 के लेखाओं की प्रति **अनुलग्नक - (v) से (vii)** के रूप में प्रस्तुत की गई है। प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, विज्ञान विभाग, सी.ए.जी. द्वारा प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट **अनुलग्नक - (viii)** में दी गई है।

****

अध्याय VIII : अनुपालना संबंधी मुद्दे

व्याघ्र संरक्षण योजनाओं की स्थिति (दिनांक 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार)

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा **38** ण के अंतर्गत राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, राज्यों द्वारा तैयार की गई व्याघ्र संरक्षण योजनाओं को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत है। राज्यों से प्राप्त व्याघ्र संरक्षण योजनाओं (टीसीपी) का विवरण निम्नानुसार है :

टाइगर रिजर्वों की कुल संख्या	50
अनुमोदित व्याघ्र संरक्षण योजनाएं	38*
अंतिम मसौदा व्याघ्र संरक्षण योजनाएं प्राप्त और समीक्षा अधीन	8
अंतिम मसौदा व्याघ्र संरक्षण योजनाएं अप्राप्त	4

समीक्षाधीन और लंबित टीसीपी का ब्यौरा

क्र.सं.	**समीक्षाधीन**	**अप्राप्त**	**टिप्पणियों को शामिल करने के उपरांत अपेक्षित अंतिम मसौदा**
1	काजीरंगा	पन्ना	रणथंभौर
2	इंद्रावती	ओरांग	बांधवगढ़
3		कामलांग	पीलीभीत
4		बोर	नावेगांव - नागजीरा
5			राजाजी
6			मुकुंद्रा

अब तक अनुमोदित टीसीपी की सूची

क्र.सं.	**राज्य**	**टाइगर रिजर्व**
1	आंध्र प्रदेश	नागार्जुन सागर - श्री सैलम
2	अरुणाचल प्रदेश	नामधापा
3	अरुणाचल प्रदेश	पाक्के

4	असम	नामेरी
5	असम	मानस
6	बिहार	वाल्मीकि
7	छत्तीसगढ़	उदांती सीतानदी
8	छत्तीसगढ़	अचानकमार
9	झारखंड	पलामू
10	कर्नाटक	बांदीपुर
11	कर्नाटक	भद्रा
12	कर्नाटक	डंडेली अंशी
13	कर्नाटक	नागरहोल
14	कर्नाटक	बीआरटी
15	केरल	पेरियार
16	केरल	परमबीकुलम
17	मध्य प्रदेश	कान्हा
18	मध्य प्रदेश	पेंच
19	मध्य प्रदेश	सतपूरा
20	मध्य प्रदेश	संजय डुबरी
21	महाराष्ट्र	मेलघाट
22	महाराष्ट्र	तदोबा-अंधेरी
23	महाराष्ट्र	पेंच
24	महाराष्ट्र	सह्याद्री
25	मिजोरम	डमपा
26	ओडिशा	सिमलीपाल
27	ओडिशा	सतकोसिया
28	राजस्थान	सरिस्का
29	तमिलनाडु	कलाक्कड - मुंडनथुरइ

30	तमिलनाडु	मुदुमलई
31	तमिलनाडु	अनामलाई
32	तमिलनाडु	सत्यमंगलम
33	तेलंगाना	कवल
34	तेलंगाना	अम्बराबाद
35	उत्तर प्रदेश	दुधवा
36	उत्तराखंड	कॉर्बेट
37	पश्चिम बंगाल	बुक्सा
38	पश्चिम बंगाल	सुंदरबन

संचालन समिति (दिनांक 31. 3. 2020 की स्थिति के अनुसार) :

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 38 प के तहत, राज्यों को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन करना आवश्यक है। संबंधित विवरण नीचे दिए गए है :

क्र.सं.	राज्य	संचालन समिति
1.	आंध्र प्रदेश	गठित
2.	छत्तीसगढ़	गठित
3.	मिजोरम	गठित
4.	कर्नाटक	गठित
5.	मध्य प्रदेश	गठित
6.	महाराष्ट्र	गठित
7.	उत्तर प्रदेश	गठित
8.	तमिलनाडु	गठित
9.	ओडिशा	गठित
10.	केरल	गठित
11.	राजस्थान	गठित
12.	पश्चिम बंगाल	गठित
13.	बिहार	गठित

14.	असम	गठित
15.	अरूणाचल प्रदेश	गठित
16.	उत्तराखंड	गठित
17.	झारखंड	गठित
18.	तेलंगना	गठित

इन संचालन समितियों की नियमित बैठकें सनिश्चित करने के लिए इस प्राधिकरण के द्वारा राज्यों के साथ पत्राचार किया गया है।

3. व्याघ्र संरक्षण संस्थापना / प्रतिष्ठान (दिनांक 31. 3. 2020 की स्थिति के अनुसार)

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38भ के तहत, राज्यों को अपने प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने और सहायता करने के लिए टाइगर रिजर्व हेतु बाघ संरक्षण फाउंडेशन का गठन करना आवश्यक है। बाघ संरक्षण फाउंडेशन के गठन की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**टाइगर रिजर्व / राज्य**
1.	पाक्के व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, अरुणाचल प्रदेश
2.	नामदफा व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, अरुणाचल प्रदेश
3.	डम्पा व्याघ्र संरक्षण फ़ाउंडेशन, ट्वीखुआहत्लंग, मिज़ोरम
4.	आंध्र प्रदेश व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, आंध्र प्रदेश (नागार्जुनसागर श्रीशैलम टीआर के लिए)
5.	बांदीपुर व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, कर्नाटक
6.	भद्रा व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, कर्नाटक
7.	डंडेली अंशी व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, कर्नाटक
8.	कालकाकद मुंडनथुराई व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, तमिलनाडु
9.	मुदुमलाई व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, तमिलनाडु, उधगमंडलम।
10.	अनामलाई व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, तमिलनाडु
11.	मध्य प्रदेश (कान्हा, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़ और संजय-डुबरी)
12.	बक्सा व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन ट्रस्ट, पश्चिम बंगाल
13.	सुंदरबन व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन ट्रस्ट, पश्चिम बंगाल

14.	मानस व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, असम
15.	काजीरंगा व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, असम
16.	नामेरी व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, असम
17.	अचनकमार व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, छत्तीसगढ़
18.	उदंती-सीतानदी व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, छत्तीसगढ़
19.	तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन, महाराष्ट्र
20.	इंद्रावती व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, छत्तीसगढ़
21.	रणथंभौर व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, राजस्थान
22.	सरिस्का व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, अलवर, राजस्थान
23.	कॉर्बेट व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, उत्तराखंड
24.	पेंच व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, महाराष्ट्र
25.	मेलघाट टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन, महाराष्ट्र
26.	सिमिलिपाल व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, ओडिशा
27.	सतकोसिया टाइगर रिजर्व, उड़ीसा
28.	नागरहोल टाइगर रिजर्व, कर्नाटक
29.	पेरियार फाउंडेशन, पेरियार टाइगर रिजर्व, केरल
30.	पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, केरल
31.	वाल्मीकि व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, बिहार
32.	बीआरटी व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, कर्नाटक
33.	सह्याद्री टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन, कोहलापुर, महाराष्ट्र
34.	पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, झारखंड
35.	बोर व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, महाराष्ट्र
36.	नावेगांव-नागझिरा व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, महाराष्ट्र
37.	कवाल व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, तेलंगाना
38.	अमराबाद व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, तेलंगाना
39.	सत्यमंगलम व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, तमिलनाडु
40.	मुकुंद्रा हिल्स व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, कोटा, राजस्थान

41.	दुधवा व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश

लंबित टीसीएफ : -

निम्नलिखित टाइगर रिजर्वों के टीसीएफ अभी गठित किए जाने हैं।

1. पीलीभीत (उत्तर प्रदेश)
2. राजाजी टीआर (उत्तराखंड)
3. ओरंग टीआर (असम)
4. कामलांग टीआर (अरुणाचल प्रदेश)

मुख्य और बफर अधिसूचना (दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार) :

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38फ के तहत, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यों द्वारा मुख्य और बफर अधिसूचना की स्थिति निम्नानुसार है :

क्र. सं.	निर्माण का वर्ष	टाइगर रिजर्व का नाम	राज्य	मुख्य / नाजुक व्याघ्र आवास क्षेत्र (वर्ग किमी में)	बफर / परिधीय क्षेत्र (वर्ग किमी में)	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)
1	1973 - 1974	बांदीपुर	कर्नाटक	872.24	584.06	1456.3
2	1973 - 1974	कॉर्बेट	उत्तराखंड	821.99	466.32	1288.31
		अमानगढ़ (कॉर्बेट टीआर का बफर)	उत्तर प्रदेश	-	80.60	80.60
3	1973 - 1974	कान्हा	मध्य प्रदेश	917.43	1134.361	2051.791
4	1973 - 1974	मानस	असम	526.22	2310.88	2837.10
5	1973 - 1974	मेलघाट	महाराष्ट्र	1500.49	1268.03	2768.52
6	1973 - 1974	पलामू	झारखंड	414.08	715.85	1129.93
7	1973 - 1974	रणथंभौर	राजस्थान	1113.364	297.9265	1411.291
8	1973 - 1974	सिमलीपाल	ओडिशा	1194.75	1555.25	2750.00
9	1973 - 1974	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल	1699.62	885.27	2584.89

10	1978 - 1979	पेरियार	केरल	881.00	44.00	925.00
11	1978 - 1979	सरिस्का	राजस्थान	881.1124	332.23	1213.342
12	1982 - 1983	बुक्सा	पश्चिम बंगाल	390.5813	367.3225	757.9038
13	1982 - 1983	इंद्रावती	छत्तीसगढ़	1258.37	1540.70	2799.07
14	1982 - 1983	नमदाफा	अरुणाचल प्रदेश	1807.82	245.00	2052.82
15	1987 - 1988	दुधवा	उत्तर प्रदेश	1093.79	1107.9848	2201.7748
16	1988 - 1989	कालाकड - मुंडनथुरई	तमिलनाडु	895.00	706.542	1601.542
17	1989 - 1990	वाल्मीकि	बिहार	598.45	300.93	899.38
18	1992 - 1993	पेंच	मध्य प्रदेश	411.33	768.30225	1179.63225
19	1993 - 1994	तदोबा-अंधारी	महाराष्ट्र	625.82	1101.7711	1727.5911
20	1993 - 1994	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	716.903	820.03509	1536.938
21	1994 - 1995	पन्ना	मध्य प्रदेश	576.13	1021.97	1598.10
22	1994 - 1995	डमपा	मिजोरम	500.00	488.00	988.00
23	1998 - 1999	भद्रा	कर्नाटक	492.46	571.83	1064.29
24	1998 - 1999	पेंच	महाराष्ट्र	257.26	483.96	741.22
25	1999 - 2000	पक्के	अरुणाचल प्रदेश	683.45	515.00	1198.45
26	1999 - 2000	नामेरी	असम	320.00	144.00	464.00
27	1999 - 2000	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश	1339.264	794.04397	2133.30797
28	2008 - 2009	अनामलाई	तमिलनाडु	958.59	521.28	1479.87
29	2008 - 2009	उदांति - सीतानदी	छत्तीसगढ़	851.09	991.45	1842.54
30	2008 - 2009	सतकोसिया	ओडिशा	523.61	440.26	963.87
31	2008 - 2009	काजीरंगा	असम	625.58	548.00	1173.58
32	2008 - 2009	अचानकमार	छत्तीसगढ़	626.195	287.822	914.017
33	2008 - 2009	डंडेली अनशी	कर्नाटक	814.884	282.63	1097.514
34	2008 - 2009	संजय - डुबरी	मध्य प्रदेश	812.571	861.931	1674.502
35	2008 - 2009	मुदुमलई	तमिलनाडु	321.00	367.59	688.59
36	2008 - 2009	नागरहोले	कर्नाटक	643.35	562.41	1205.76

37	2008 - 2009	परम्बिकुलम	केरल	390.89	252.772	643.662
38	2009 - 2010	सह्याद्री	महाराष्ट्र	600.12	565.45	1165.57
39	2010 - 2011	बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर	कर्नाटक	359.10	215.72	574.82
40	2012 - 2013	कवल	तेलंगाना	892.23	1123.212	2015.44
41	2013 - 2014	सत्यमंगलम	तमिलनाडु	793.49	614.91	1408.40
42	2013 - 2014	मुकंदरा हिल्स	राजस्थान	417.17	342.82	759.99
43	2013 - 2014	नवेगॉव - नाजिरा	महाराष्ट्र	653.674	1241.27	653.674
44	1982 - 1983	नागार्जुनसागर श्रीशैलम	आंध्र प्रदेश	2595.72	700.59	3296.31
45	2014	अमराबाद	तेलंगाना	2166.37	445.02	2611.39
46	2014	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	602.7980	127.4518	730.2498
47	2014	बोर	महाराष्ट्र	138.12	678.15	816.27
48	2015	राजाजी	उत्तराखंड	819.54	255.63	1075.17
49	2016 (24.02.2016)	ओरंग	असम	79.28	413.18	492.46
50	2016 (08.09.2016)	कामलांग	अरुणाचल प्रदेश	671.00	112.00	783.00
		कुल		**40145.30**	**32603.72**	**72749.02**

*****

अध्याय - IX - अनुलग्नक

अनुलग्नक - i - भारत में स्थित टाइगर रिजर्वों की सूची

क्र.सं.	टाइगर रिजर्व	राज्य
1	नागार्जुन सागर	आंध्र प्रदेश
2	नामधापा	अरुणाचल प्रदेश
3	पाक्के	अरुणाचल प्रदेश
4	कामलांग	अरुणाचल प्रदेश
5	काजीरंगा	असम
6	मानस	असम
7	नामेरी	असम
8	ओरंग	असम
9	वाल्मीकि	बिहार
10	अचानकमार	छत्तीसगढ़
11	इंद्रावती	छत्तीसगढ़
12	उदांती सीतानदी	छत्तीसगढ़
13	पलामू	झारखंड
14	बांदीपुर	कर्नाटक
15	भद्रा	कर्नाटक
16	डंडेली अंशी	कर्नाटक
17	नागरहोल	कर्नाटक
18	बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर	कर्नाटक
19	पेरियार	केरल
20	परमबी कुलम	केरल
21	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश
22	कान्हा	मध्य प्रदेश
23	पन्ना	मध्य प्रदेश

24	पेंच	मध्य प्रदेश
25	संजय दुबरी	मध्य प्रदेश
26	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश
27	मेलघाट	महाराष्ट्र
28	पेंच	महाराष्ट्र
29	तदोबा-अंधेरी	महाराष्ट्र
30	सह्याद्री	महाराष्ट्र
31	नावेगांव - नागजीरा	महाराष्ट्र
32	बोर	महाराष्ट्र
33	डमपा	मिजोरम
34	सतकोसिया	ओडिशा
35	सिमलीपाल	ओडिशा
36	रणथम्भोर	राजस्थान
37	सरिस्का	राजस्थान
38	मुकन्द्रा	राजस्थान
39	कालाकाड - मुंडानथुरइ	तमिलनाडु
40	मुदुमलई	तमिलनाडु
41	अनामलाई	तमिलनाडु
42	सत्यमंगलम	तमिलनाडु
43	कवल	तेलंगाना
44	अमराबाद	तेलंगाना
45	राजाजी	उत्तराखंड
46	कॉर्बेट	उत्तराखंड
47	दुधवा	पश्चिम बंगाल
48	पीलीभीत	पश्चिम बंगाल
49	बुक्सा	उत्तर प्रदेश

50	सुंदरबन	उत्तर प्रदेश

अनुलग्नक - ii - टाइगर रिजर्व के अंदर व्याघ्रों की मृत्यु (प्राकृतिक और अन्य कारण)

टाइगर रिजर्व के अंदर
(दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक) राज्यों द्वारा यथा सूचित

तिथि	माह	वर्ष	राज्य	टाइगर रिजर्व
11	अप्रैल	2019	कर्नाटक	नागरहोल टाइगर रिजर्व
13	अप्रैल	2019	महाराष्ट्र	तदोबाअंधारी - टाइगर रिजर्व, खाना संख्या 123
14	अप्रैल	2019	उत्तर प्रदेश	दुधवा टाइगर रिजर्व
15	अप्रैल	2019	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
4	मई	2019	उत्तराखंड	कॉर्बेट टाइगर रिजर्व
7	मई	2019	मध्य प्रदेश	पेंच टाइगर रिजर्व
8	मई	2019	महाराष्ट्र	मेलघाट टाइगर रिजर्व
9	मई	2019	बिहार	वाल्मीकि टाइगर रिजर्व
19	मई	2019	तमिल नाडु	मुदुमलाई टाइगर रिजर्व
22	मई	2019	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
27	मई	2019	उत्तराखंड	कॉर्बेट टाइगर रिजर्व
28	मई	2019	कर्नाटक	बांदीपुर टाइगर रिजर्व
8	जून	2019	राजस्थान	सरिस्का टाइगर रिजर्व
19	जून	2019	कर्नाटक	बांदीपुर टाइगर रिजर्व
12	जुलाई	2019	कर्नाटक	बांदीपुर टाइगर रिजर्व
24	जुलाई	2019	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत टाइगर रिजर्व
27	जुलाई	2019	कर्नाटक	बांदीपुर टाइगर रिजर्व
28	जुलाई	2019	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
28	जुलाई	2019	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
11	अगस्त	2019	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
13	सितंबर	2019	महाराष्ट्र	पेंच टाइगर रिजर्व
22	सितंबर	2019	उत्तराखंड	कॉर्बेट टाइगर रिजर्व

7	अक्तूबर	2019	महाराष्ट्र	तडोबाअंधारी- टाइगर रिजर्व
27	अक्तूबर	2019	तमिल नाडु	मुदुमलाई टाइगर रिजर्व
6	नवंबर	2019	मध्य प्रदेश	कान्हा टाइगर रिजर्व
10	दिसंबर	2019	कर्नाटक	बांदीपुर टाइगर रिजर्व
15	दिसंबर	2019	मध्य प्रदेश	कान्हा टाइगर रिजर्व, किसली रेंज
16	दिसंबर	2019	उत्तराखंड	कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, बिजरानी रेंज
18	दिसंबर	2019	मध्य प्रदेश	पेंच टाइगर रिजर्व (खवासा(
25	दिसंबर	2019	उत्तराखंड	कालागढ़ बीट, कॉर्बेट टी.आर .
31	दिसंबर	2019	मध्य प्रदेश	पन्ना टाइगर रिजर्व
1	जनवरी	2020	बिहार	वाल्मीकि टाइगर रिजर्व
15	फ़रवरी	2020	झारखंड	पलामू टाइगर रिजर्व

टाइगर रिजर्व के बाहर (दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक)

क्र.सं.	तिथि	माह	वर्ष	राज्य	टाइगर रिजर्व / क्षेत्र
1	5	अप्रैल	2019	तमिल नाडु	बोम्माराजापुरम नॉर्थ बीट, मेगामलई वन्यजीव मंडल
2	8	अप्रैल	2019	पश्चिम बंगाल	अजमलमारि सुंदरबन
3	17	अप्रैल	2019	आंध्र प्रदेश	नांदियाल मंडल, कंपार्टमेंट सं. 525
4	7	मई	2019	मध्य प्रदेश	दक्षिणी शिवनी
5	9	मई	2019	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
6	13	मई	2019	मध्य प्रदेश	मझगांवा
7	9	जून	2019	असम	जोनई धेमाजी
8	8	जुलाई	2019	महाराष्ट्र	चिमुर रेंज
9	8	जुलाई	2019	महाराष्ट्र	चिमुर रेंज
10	8	जुलाई	2019	महाराष्ट्र	चिमुर रेंज
11	20	जुलाई	2019	असम	कारबी आंगलोंग
12	17	अक्तूबर	2019	पश्चिम बंगाल	हासिमारा

13	7	नवंबर	2019	महाराष्ट्र	चंद्रपुर
14	23	नवंबर	2019	तमिल नाडु	मेगामलइ वन्य जीव मंडल
15	9	दिसंबर	2019	छत्तीसगढ	किशनपुरी
16	5	जनवरी	2020	गोवा	एम हेडेइ वन्यजीव अभ्यारण्य
17	8	जनवरी	2020	गोवा	एम हेडेइ वन्यजीव अभ्यारण्य
18	8	जनवरी	2020	गोवा	एम हेडेइ वन्यजीव अभ्यारण्य
19	8	जनवरी	2020	गोवा	एम हेडेइ वन्यजीव अभ्यारण्य
20	11	जनवरी	2020	महाराष्ट्र	ब्रहमपुरी मंडल
21	15	मार्च	2020	कर्नाटक	गुंदरे रेंज, बांदीपुर टी आर

*****

अनुलग्नक - iii - सीएसएस - व्याघ्र परियोजना : वर्ष 2019-20 के लिए संस्वीकृति विवरण

टाइगर रिजर्ववार संस्वीकृतियों का विवरण

क्र.सं.	टाइगर रिजर्व	राज्य	वर्ष 2019-20 के दौरान निर्मोचन (लाख रु. में) जिसमें ग्राम पुनर्वास शामिल है
1.	नागार्जुनसागर	आंध्र प्रदेश	114.480
2.	कामलांग	अरुणाचल प्रदेश	199.400
3.	पाक्के	अरुणाचल प्रदेश	537.680
4.	नमदाफा	अरुणाचल प्रदेश	109.230
5.	ओरंग	असम	252.850
6.	मानस	असम	501.160
7.	नामेरी	असम	154.720
8.	काजीरंगा	असम	1290.030
9.	वाल्मीकि	बिहार	562.840
10.	इंद्रावती	छत्तीसगढ़	85.810
11.	अचानकमार	छत्तीसगढ़	130.420
12.	उदांति - सीतानदी	छत्तीसगढ़	142.300
13.	पलामू	झारखंड	1432.070
14.	काली (डंडेली आंशी)	कर्नाटक	374.760
15.	नागरहोल	कर्नाटक	463.420
16.	भद्रा	कर्नाटक	452.430
17.	बांदीपुर	कर्नाटक	660.370
18.	बीआरटी	कर्नाटक	301.050
19.	पेरियार	केरल	331.240
20.	परम्बिकुलम	केरल	275.830
21.	पेंच	मध्य प्रदेश	385.830
22.	पन्ना	मध्य प्रदेश	461.380
23.	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	384.960
24.	कान्हा	मध्य प्रदेश	928.150
25.	संजय दुबरी	मध्य प्रदेश	826.880
26.	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश	514.710
27.	मेलघाट	महाराष्ट्र	2026.590

28.	बोर	महाराष्ट्र	466.150
29.	नवेगांव - नागजीरा	महाराष्ट्र	1273.490
30.	तदोबा - अंधारी	महाराष्ट्र	2110.390
31.	पेंच	महाराष्ट्र	902.030
32.	सह्याद्री	महाराष्ट्र	441.740
33.	डमपा	मिजोरम	337.700
34.	सतकोसिया	ओडिशा	642.790
35.	सिमलीपाल	ओडिशा	660.530
36.	मुकुंदरा	राजस्थान	310.580
37.	रणथंभौर	राजस्थान	368.500
38.	सरिस्का	राजस्थान	524.110
39.	केएमटीआर	तमिलनाडु	253.220
40.	मुदुमलई	तमिलनाडु	507.870
41.	सत्यमंगलम	तमिलनाडु	479.310
42.	अनामलाई	तमिलनाडु	346.510
43.	कवल	तेलंगाना	267.230
44.	अमराबाद	तेलंगाना	92.681
45.	कॉर्बेट	उत्तराखंड	1711.650
46.	राजाजी	उत्तराखंड	577.530
47.	दुधवा	उत्तर प्रदेश	900.580
48.	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	341.910
49.	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल	599.590
50.	बुक्सा	पश्चिम बंगाल	158.880
	कुल		**28,175.561**

*****

संस्वीकृतियों का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य	निर्मोचित राशि (लाख रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	114.480
2.	अरुणाचल प्रदेश	846.310
3.	असम	2198.760
4.	बिहार	562.840
5.	छत्तीसगढ़	358.530
6.	झारखंड	1432.070
7.	कर्नाटक	2252.030
8.	केरल	607.070
9.	मध्य प्रदेश	3501.910
10.	महाराष्ट्र	7220.390
11.	मिजोरम	337.700
12.	ओडिशा	1303.320
13.	राजस्थान	1203.190
14.	तमिलनाडु	1586.910
15.	तेलंगाना	359.911
16.	उत्तराखंड	2289.180
17.	उत्तर प्रदेश	1242.490
18.	पश्चिम बंगाल	758.470
कुल		**28,175.561**

अनुलग्नक IV - वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए योजना व्यय (दिनांक 31.03.2020 की यथास्थिति)

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	बजट शीर्ष	बीई 2019-20	आरई 2019-20	व्यय	आरई की तुलना में % व्यय
	व्याघ्र परियोजना योजना				
1.	3601.06.101.02.01.31 (राज्य सरकारों को सहायता) सामान्य अनुदान सहायता	256.00	188.77	188.76	99.99%
2.	3601.06.796.02.01.31 (राज्य सरकारों को सहायता) जनजाति उप योजना (**टीएसपी**), सामान्य अनुदान सहायता	35.00	35.00	35.00	100%
3.	3601.06.789.02.01.31 (राज्य सरकारों को सहायता) अनुसूचित जाति उप योजना (**एससीएसपी**), सामान्य अनुदान सहायता	28.00	28.00	28.00	100%
4.	2552.00.114.06.03.31 (पूर्वोत्तर क्षेत्र को सहायता) सामान्य अनुदान सहायता	30.00	30.00	30.00	100%
*5	2406.02.110.15.03	1.00	1.00	0.47	58.75%
	कुल	**350.00**	**282.57**	**282.23**	**99.88 %**
1.	**2406.02.110.17.03 (राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण) (विस्तृत शीर्ष)**				
(क)	17.03.31 सामान्य अनुदान समान्य	8.20	7.60	6.74	88.68 %
(ख)	17.03.36 अनुदान सहायता वेतन	1.80	1.40	1.30	92.86 %
	कुल	**10.00**	**9.00**	**8.04**	**89.33 %**

अनुलग्नक - V - वित्तीय विवरण / दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

समग्र/पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
समग्र / पूंजीगत निधि	1	4,24,65,841	4,71,50,103
आरक्षिति एवं अधिशेष	2	-	-
उद्दिष्ट एवं स्थायी निधि	3	-	-
जमानती ऋण एवं उधार	4	-	-
गैर-जमानती ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित क्रेडिट देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं एवं उपबंध	7	43,48,155	10,89,,936
कुल		**4,68,13,996**	**4,82,40,039**
आस्तियां			
अचल आस्तियां	8	3,48,57,974	3,81,32,275
उद्दिष्ट एवं स्थायी निधियों से निवेश	9	-	-
निवेश-अन्य	10	-	-
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	1,19,56,022	1,01,07,764
विविध व्यय (बट्टे खाते या समायोजित न करने की सीमा तक)		-	-
कुल		**4,68,13,996**	**4,82,40,039**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं संबंधी टिप्पणियां	25		

अनुलग्नक - VI - वित्तीय विवरण - दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रुपए में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
			-
बिक्री / सेवाओं से आय	12		
अनुदान/सहायता	13	84,986,937.00	79,896,407.00
शुल्क/अभिदान	14	-	-
निवेशों से आय (उद्दिष्ट / स्थायी निधियों से निवेश पर आय/ निधियां, निधियों मे अंतरित)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	-	12,85,342.00
अन्य आय	18	6,000.00	6,899.00
तैयार माल और डब्ल्यूआईपी के भण्डार में वृद्धि (कमी)	19		
कुल (क)		**8,49,92,937.00**	**8,11,88,648.00**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	3,28,57,983.00	2,42,64,754.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	69,87,108.20	1,73,93,437.70
अनुदान, उपदान आदि पर व्यय	22	4,48,01,000.00	6,11,04,723.00
ब्याज (पेशगी राशि की प्राप्ति)	23	11,28,194.00	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग - अनुसूची - 8)		51,83,865.00	54,72,648.00
कुल (ख)		**9,09,58,150.20**	**10,82,35,562.70**
व्यय से अधिक आय (क - ख)		-59,65,213.20	-2,70,46,914.70
पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	23 क	**12,80,951.00**	
शेष राशि को समग्र/पूंजीगत निधि में आगे ले जाया गया		-	-
घाटे की शेष राशि को समग्र/पूंजीगत निधि अग्रेणित किया गया		-46,84,262.20	2,70,46,914.70
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं संबंधी टिप्पणियां	25		

अनुलग्नक VII - 31.03.2020 को समाप्त अवधि/वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I. प्रारंभिक रोकड़	-	-	1. व्यय		
(क) रोकड़ शेष	10,000.00		(क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुसार)	3,28,57,983.00	2,42,64,754.00
पेशगी	1,10,000	1,00,000	घटाएं : वेतन प्रावधान	-23,30,895.00	-10,64,542.00
(ख) बैंक शेष					
i) चालू खातों में जमा			(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुसार)	61,44,504.20	1,56,78,711.70
ii) जमा खातों में	-	1,84,16,242.00	(ग) व्याघ्र फाउंडेशन को अनुदान सहायता	4,42,01,000.00	6,11,04,723.00
iii) बचत खातों में	74,49,460.30	15,30,852.00			
II. प्राप्त अनुदान			**II. विभिन्न परियोजनाओं की निधियों के लिए भुगतान**		
(क) भारत सरकार से	8,49,86,937.00	7,98,96,407;00	(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ निधि या परियोजना का नाम दर्शाया जाना चाहिए)	..	-
(ख) राज्य सरकार से	-	-			
(ग) अन्य स्रोतों से (विवरण सहित)	-	-			
(पूंजी के लिए अनुदान एवं राजस्व व्यय, अलग से दर्शाया जाए)	-	-	iii) अनुसंधान परियोजनाएं	-	-
			iv) प्रशिक्षण, कार्यशाला, सम्मेलन	8,42,604.00	17,14,726.00

III. निम्नलिखित निवेश से आय	-	-	**III. किए गए निवेश एवं जमा**	-	-
(क) उद्दिष्ट / वृर्तिदान निधियां	-	-	(क) उद्दिष्ट / वृर्तिदान निधियों में से	-	-
(ख) स्व-निधियों से	-	-	(ख) स्व-निधियों में	-	-

(अन्य निवेश)			से (अन्य निवेश)		
IV. **प्राप्त ब्याज**			**IV. अचल आस्तियों तथा चालू पूंजीगत कार्यों पर व्यय**		
(क) बैंक जमा से	3,27,324.00	12,85,342.00	(क) अचल आस्तियों की खरीद	5,72,900.00	8,37,867.00
(ख) ऋण, अग्रिम आदि से	-	-	(ख) चालू पूंजीगत कार्य पर व्यय	-	-
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)	-	-	**V. अधिशेष राशि/ऋण की चुकौती**	-	-
बैंक प्रभारों की चुकौती	-	-	(क) भारत सरकार को	-	-
पिछले वर्ष एस0ओ0 (एनटीसीए) को किए गए अतिरिक्त भुगतान की चुकौती	-	-	(ख) राज्य सरकार को		
पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्ति	6,000.00	5,019.00	(ग) अन्य निधि प्रदाताओं को		
VI. **उधार ली गई राशि**			**VI. वित्तीय प्रभार(ब्याज)**	-	-
VII. **कोई अन्य प्राप्तियों (उल्लेख करें)**			**VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**		
(क) विविध प्राप्तियां	-	1,880.00	(क) टीडीएस का भुगतान		
(i) सीपीडब्ल्यूडी द्वारा वापिस लौटाया गया शेष अप्रयोज्य अग्रिम	-	-	(ख) प्रतिभूति जमा/ अवमुक्त		6,684.00
(ख) स्कूटर अग्रिम पर ब्याज	-	-	(ग) समायोज्य राशि (अन्य विभागों द्वारा)		
(ग) प्रतिभूति जमा		2,000.00	(घ) नकद वसूली योग्य अग्रिम अथवा वसूली मूल्य	6,93,584.00	20,49,168.00
(घ) अग्रिमों की वसूली	14,08,185.00	1,09,23,810.00	(घ) स्टाफ के लिए अग्रिम राशि	-	-
(ङ) टीडीएस की वसूली	-	-	(च) अन्य विभागों को भुगतान (वेतन	-	-

			बिल से वसूली)		
(च) स्टाफ कार वसूली			(च) बैंक प्रभार	-	-
(छ) लाईसेंस शुल्क			(छ)-पेशगी अग्रिम की प्राप्ति	-	-
(ज) वेतन बिलों से वसूली, अन्य विभागों से समायोज्य					
(झ) आस्तियों की बिक्री से आय		-			
(ञ) वसूली गई जीआईए					
(ट) पिछले वर्ष किए गए छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान का वापिस प्राप्त होना			**VIII. अंतिम शेष**		
			(क) उपलब्ध नकद	25,000.00	10,000.00
			पेशगी	1,50,000.00	1,10,000.00
			(ख) बैंक शेष		
			(i) चालू खातों में		
			(ii) जमा खातों में	-	-
			(iii) बचत खातों में	1,00,13,032.10	74,49,460.30
कुल	**9,42,97,906.00**	**11,21,61,552.00**	**कुल**	**9,42,97,906.30**	**11,21,61,552.00**

अनुसूची **1 -** समग्र/पूंजीगत निधि **-** वित्तीय विवरण **-** दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 1 - **समग्र / पूंजीगत निधि :**	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	4,71,50,103.30	7,41,97,018.00
जोड़ें : निबल आय की शेष राशि		
आय एवं व्यय लेखा से अंतरित		
घटाएं : निबल व्यय की शेष राशि	46,84,262.20	2,70,46,914.70
आय एवं व्यय लेखा से अंतरित		
वर्षान्त में शेष राशि	**4,24,65,841.10**	**4,71,50,103.30**

अनुसूची 2 - आरक्षिति और अधिशेष

क - आरक्षिति और अधिशेष:	**चालू वर्ष**		**पिछले वर्ष**	
1. <u>पूंजी आरक्षित निधि</u> :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	-	-	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
2. <u>पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति निधि</u> :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	-	-	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
3. **<u>विशेष आरक्षित निधि</u>** :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	-	-	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
4. **<u>सामान्य आरक्षित निधि</u>** :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	-	-	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
<u>कुल</u>		-		-

अनुसूची 3 - उद्दिष्ट / स्थायी निधियां

(राशि रु. में)

अनुसूची - 3 - उद्दिष्ट / स्थायी निधियां	निधिवार अलग अलग विवरण				कुल	
	निधि कक	निधि खख	निधि गग	निधि घघ	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधियों का प्रारंभिक शेष						
ख) निधियों में परिवर्द्धन	-	-	-	-	-	-
i) दान / अनुदान	-	-	-	-	-	-
ii) निधियों की राशि से किए गए निवेश से प्राप्त आय	-	-	-	-	-	-
iii) अन्य जोड़ (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल (क+ख)	-	-	-	-	-	-
ग) निधियों के प्रयोजन के मद में उपयोग / व्यय	-	-	-	-	-	-
i) पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-
- अचल आस्तियां	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-
ii) राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी और भत्ता इत्यादि						
- किराया	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-
कुल (ग)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क + ख + ग)	-	-	-	-	शून्य	शून्य

टिप्पण :

(1) अनुदान से संबद्ध शर्तों के आधार पर संबंधित शीर्षों के अंतर्गत किए गए प्रकटन

(2) केंद्र / राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां पृथक निधि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और इसे किसी अन्य निधि में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

अनुसूची 4 - प्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि रु. में)

क. प्रतिभूत ऋण और उधार :	**चालू वर्ष**		**पिछले वर्ष**	
अनुसूची - 4 - प्रतिभूत ऋण और उधार :				
1. केन्द्र सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार (नाम बताएं)	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-	-	-
क) सावधि ऋण	-	-	-	-
ख) प्रोद्भूत ब्याज और देय	-	-	-	-
4. बैंक **:**	-	-	-	-
क) सावधि ऋण	-	-	-	-
- प्रोद्भूत ब्याज और देय	-	-	-	-
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
- प्रोद्भूत ब्याज और देय	-	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	-	-	-	-
6. ऋण पत्र और बंध पत्र	-	-	-	-
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल		**-**	-	**-**
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि				

अनुसूची 5 - अप्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि रुपए में)

क. अप्रतिभूत ऋण और उधार :	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (नाम बताएं)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक :	-	-
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	-	-
6. ऋण पत्र और बंध पत्र	-	-
7. मियादी जमा	-	-
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल		
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि		

अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएं

(राशि रुपए में)

क - आस्थगित ऋण देयताएं	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
क) पूंजीगत उपस्कर और अन्य आस्तियों के बंधक से प्रत्याभूत स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-
टिप्पण : एक वर्ष के अंदर देय राशि	-	-

अनुसूची 7 - चालू देयताएं एवं प्रावधान

क. चालू देयताएं	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. स्वीकृतियां	-.	-.
2. विविध उधारकर्ता:	-.	-.
क) वस्तुओं के लिए	-.	-.
ख) अन्य	-.	-.
3. प्राप्त अग्रिम	-.	-.
4. प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं है	-.	-.
क) प्रतिभूत ऋण/उधार	-.	-.
ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार	-.	-.
5. अन्य चालू देयताएं	-.	-.
(i) मंत्रालय को लौटाई जाने वाली अनुदान सहायता	-.	-.
(ii) मंत्रालय को लौटाई जाने वाली अव्ययित अनुदान सहायता	-.	-.
(iii) मंत्रालय को लौटाया जाने वाला ब्याज	3,27,324.00	**-**
(iv) लौटाई जाने वाली प्रतिभूति	25,394	25,394
(v) अन्य (निष्पादन पुरस्कार)	6,00,000.00	
कुल (क)	**9,52,718.00**	**25,394**
ख. प्रावधान :		
1. कराधान के लिए	-.	-.
2. उपदान	-.	-.
3. अधिवर्षिता/पेंशन	-.	-.
(i) अधिवर्षिता स्कीम में अंशदान	-.	-.
4. संचित अवकाश नकदीकरण	-.	-.
5. वेतन	33,95,437.00	10,64,542.00
कुल (ख)	**33,95,437.00**.	**10,64,542.00**.
कुल योग (क + ख)	43,48,155.00.	**10,89,936.00**

अनुसूची 8 - अचल आस्तियां

(राशि रु. में)

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास						निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्य (क)	वर्ष के दौरान संवर्धन (ख)		वर्ष के दौरान कटौतियां (ग)	वर्षान्त में लागत/मूल्य (घ)	मूल्यह्रास दर % (ड़)	वर्ष के आरंभ में (च)	निम्न के दौरान संवर्धन(छ)		वर्ष के दौरान कटौतियां (ज)	वर्षान्त तक कुल योग (झ)	चालू वर्ष के अंत में (घ-च-छ)	पिछले वर्ष के अंत में
		1.4.2019-30.9.2019	1.10.2019-31.3.2020					1.4.2019-30.9.2019	1.10.2019-31.3.2020				
मूर्त आस्तियां													
भवन	20,503,325	-	-	-	20,503,325	10%	2,050,333	-	-	-	22,781,472	18,452,992	20,503,325
फर्नीचर, फिक्सचर	1,734,531	29,913	31,100	-	1,795,544	10%	173,453	2,991	1,555	-	177,999	1,617,545	1,734,531
वाहन	1,490,183	-	-	-	1,490,183	15%	223,527	-	-	-	223,527	1,266,656	1,490,183
सचल एवं संवहन उपकरण	115,667	71,000	10,900	-	197,567	15%	17,350	10,650	818	-	28,818	168,749	115,667
कार्यालय उपकरण	1,591,319	80,799	159,900	-	1,832,018	15%	238,698	12,120	11,993	-	262,811	1,569,207	1,591,319
निगरानी इले. प्रणाली	11,931,861	-	-		11,931,861	15%	1,789,779	-	-	-	1,789,779	10,142,082	11,931,861
कंप्यूटर/पेरीफेरल	402,995	152,388	42,900	-	5,98,283	40%	161,198	60,955	8,580	-	2,30,733	3,67,550	4,02,995
लाईब्रेरी पुस्तकें	32,298	-	-	-	32,298	40%	12,919	-	-	-	12,919	19,379	32,298
वैज्ञानिक/ तकनीकी उपकरण	82,441	-	-	-	82,441	15%	-	12,366	-	-	12,366	70,075	82,441
अमूर्त आस्तियां													
वेबसाइट	247,655		-	-	3,30,207	25%	82,552	-	-	-	394,580	11,83,739	247,655
चालू वर्ष का कुल योग	3,81,32,275	**1,664,764**	**244,800**	**-**	**40,041,839**		**4,741,537**	**419,382**	**22,946**	-	**25,915,004**	**34,857,974**	**38,132,275**

अनुसूची 9 - उद्दिष्ट/स्थायी निधियों से निवेश

(राशि रुपए में)

उद्दिष्ट/स्थायी निधियों से निवेश	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋणपत्र और बंधपत्र	-	-
5. समनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

अनुसूची 10 - अन्य निवेश

(राशि रु. में)

अन्य निवेश	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋणपत्र और बंधपत्र	-	-
5. समनुषंगी और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

अनुसूची 11 - चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि रु. में)

क. - **चालू आस्तियां :**	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. सामान सूची :	-	-
क) स्टोर्स तथा अतिरिक्त पुर्जे	-	-
ख) खुले औजार	-	-
ग) स्टॉक इन ट्रेड	-	-
तैयार वस्तुएं	-	-
चालू कार्य	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध कर्जदार :	-	-
क) 6 महीने से ज्यादा अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
ख) अन्य	-	-
3. उपलब्ध नकद (चैक/ड्राफ्ट तथा पेशगी सहित)	-	-
उपलब्ध नकदी		
पेशगी	1,75,000.00	1,20,000.00
4. बैंक में शेष राशि	-	-
क) अनुसूचित बैंकों में :		
- चालू खातों पर		
- जमा खातों पर (मार्जिन राशि शामिल है)	-	-
- बचत खातों पर	1,00,13,32.10	74,49,469.30
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में:		
- चालू खातों पर		
- जमा खातों पर	-	-
- बचत खातों पर		-
5. डाकघर - बचत लेखा	-	-
कुल (क)	**1,01,88,032.10**	**75,69,460.30**

अनुसूची 11ख - चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि रु. में)

ख .ऋण, अग्रिम तथा अन्य आस्तियां	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. ऋण :	-	-
क. कर्मचारी	-	-
ख संस्था के समान कार्यकलापों/उद्देश्यों में कार्यरत अन्य	-	-

संस्थाएं		
ग. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
2. नकद रुप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशियों में		-
क. पूंजीगत लेखे पर		-
ख. पूर्व भुगतान		
सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम भुगतान	8,68,599	65,91,030
राज्य पीडब्ल्यूडी, बेंगलुरु को अग्रिम	3,16,000	3,16,000
अन्य	7,76,776	39,28,987
	-	-
ग. अन्य		
प्रतिभूति जमा	62,184	57,500
स्रोत पर कर कटौती	5,14,745	5,14,745
3. प्रोद्भूत आय :		
क) उद्दिष्ट / स्थायी निधि से निवेश पर	-	-
ख) निवेश पर - अन्य	-	-
ग) ऋण एवं अग्रिम से	-	-
घ) अन्य (वसूली न जाने के कारण आय रु.... शामिल है)	-	-
4. प्राप्त हुए दावे	-	-
कुल (ख)	**25,38,304**	**1,14,08,262**
कुल योग (क + ख)	**1,01,07,764**	**3,14,55,356**

अनुसूची 12 - बिक्री / सेवाओं से आय

(राशि रु. में)

अनुसूची 12 - बिक्री / सेवाओं से आय	चालू वर्ष	पिछले वश्र
1) **बिक्री से आय**		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्ची सामग्री की बिक्री	-	-
ग) स्क्रैप्स की बिक्री	-	-
2) **सेवाओं से आय**		
क) श्रम एवं संसाधन प्रभार	-	-
ख) पेशेवर / परामर्शी सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमिशन एवं दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाए (उपस्कर / संपत्ति)	-	-
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल (ख)	**-**	**-**

अनुसूची 13 - अनुदान/सब्सिडी

(राशि रु. में)

(अप्रतिसंहरणीय अनुदान तथा प्राप्त सब्सिडी)	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्र सरकार	**8,49,86,937.00**	**9,86,73,952.00**
2. राज्य सरकार / सरकारें	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थान / कल्याणकारी निकाय	-	-
5. अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य (उल्लेख करें) / बैंक टीआरएफ विविध	-	-
कुल	**8,49,86,937.00**	**9,86,73,952.00**
अनुदानों का अव्ययित शेष		**1,87,77,545.00**
कुल	**8,49,86,937.00**	**7,98,96,407.00**

अनुसूची 14 - शुल्क/अभिदान

(राशि रु. में)

शुल्क/अभिदान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क/अभिदान	-	-
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-

5. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	.	.

अनुसूची 15 - निवेशों से आय

(राशि रु. में)

निवेशों से आय	**उद्दिष्ट निधि से निवेश**		**अन्य निवेश से**	
निधियों में अंतरित उद्दिष्ट / स्थायी निधि से निवेश पर आय	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. ब्याज	-	-	-	-
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख. अन्य बंध पत्र / ऋण पत्र	-	-	-	-
2. लाभांश	-	-	-	-
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल		**-**	-	**-**

उद्दिष्ट / अक्षय निधि में अंतरित

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन से आय

(राशि रुपए में)

अनुसूची 16 - रॉयल्टी / प्रकाशन से आय	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1) रॉयल्टी से आय	-	-
2) प्रकाशन से आय	-	-
3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

अनुसूची 17 - सावधि जमा / बचत खातों / ऋण पर अर्जित ब्याज

(राशि रुपए में)

1. सावधि जमा पर	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
(क) अनुसूचित बैंकों में	3,39,155	3,39,155.00
(ख) गैर अनुसूचित बैंकों में	-	-
(ग) संस्थानों में	-	-
(घ) अन्य	-	-
2. बचत खातों में		
(क) अनुसूचित बैंकों में	9,46,187	9,46,187.00
(ख) गैर अनुसूचित बैंकों में	-	-

(ग) डाक घर बचत खातों में	-	-
(घ) अन्य	-	-
3. ऋण पर		
(क) कर्मचारी	-	-
(ख) अन्य	-	-
4. देनदारों पर ब्याज एवं अन्य प्राप्तियां	-	-
कुल	**-**	**12,85,342.00**

अनुसूची 18 - अन्य आय

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	**पिछले वर्ष**
1. आस्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली आस्तियां	6,000.00	5,019.00
ख) अनुदानों से अधिग्रहित या नि:शुल्क प्राप्त आस्तियां	-	-
2. वसूली गयी निर्यात प्रोत्साहन राशि	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध		
(क) पिछले वर्ष के बट्टेखाते में डाले गए संभार	-	-
(ख) पहले जारी जीआईए जिसकी बाद में वसूली हुई	-	-
(ग) स्टॉफ अग्रिम पर प्राप्त ब्याज	-	-
(घ) मंत्रालय से वापिस प्राप्त आस्तियों का मूल्य	-	-
(ङ) विविध आय		1,880.00
कुल	**6,000.00**	**6,899.00**

अनुसूची 19 - तैयार माल के स्टॉक एवं प्रगतिधीन कार्य में वृद्धि / कमी

(राशि रुपए में)

तैयार माल के स्टॉक एवं प्रगतिधीन कार्य में वृद्धि / कमी	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
क) अंतिम स्टॉक	-	-
. तैयार माल		
. प्रगतिधीन कार्य		
ख) घटाएं : प्रारंभिक स्टॉक	-	-
. तैयार माल	-	-
. प्रगतिधीन कार्य	**-**	**-**
कुल	**-**	**-**

अनुसूची 20 - स्थापना व्यय

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) वेतन तथा मजदूरी	3,28,33,576.00	2,42,10,796.00
ख) भत्ते तथा बोनस	-	-
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (निर्दिष्ट करें)	-	-
ङ) स्टॉफ कल्याण व्यय	24,407.00	13,958.00
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभों पर व्यय	-	-
छ) अन्य		
मानदेय	-	40,000.00
कुल	**3,28,57,983.00**	**2,42,64,754.00**

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. खरीद		-
ख. सवारी भत्ता एवं गाड़ी भाड़ा	46,324.00	47,554.00
ग. मरम्मत एवं अनुरक्षण**		
भवन	19,320.00	88,09,479.00
अन्य	3,29,149.00	3,60,849.00
घ. वाहन चालन व्यय	3,10,802.00	3,10,660.00
ङ. वाहन अनुरक्षण	1,76,304.00	1,27,639.00
च. डाक खर्च, टेलीफोन तथा संप्रेषण प्रभार	3,13,127.00	3,34,577.00
छ. मुद्रण, प्रकाशन तथा पत्र-पत्रिकाएं	3,36,730.00	1,16,513.00
ज. यात्रा व्यय	24,03,056.00	38,70,031.00
झ. विधिक और व्यवसायिक प्रभार	1,32,091.00	2,84,798.00
ञ. आतिथ्य व्यय	4,68,217.00	1,85,037.00
ट. विज्ञापन तथा प्रसार	-	-
ठ. पेशेवर प्रभार	-	-
ड. बिजली और पानी प्रभार	1,92,908.00	1,93,160.00
ढ. वितरण व्यय	-	-
ण. टीडीएस	-	-
त. मुद्रण तथा लेखन सामग्री	5,61,206.00	4,61,634.00
थ. इम्प्रेस्ट व्यय		
द. पुनर्स्थापन/संचलन व्यय		

ध. बैंक प्रभार	282.00	646.00
न. अन्य कार्यालय व्यय	7,68,364.00	4,85,416.00
प. किराया	92,624.00	90,719.00
फ. अप्रयोज्य आस्तियों की बिक्री से घाटा		
कुल (I)	61,44,504.00	**1,56,78,711.70**
II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए भुगतान		
प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सम्मेलनों/ बैठकों पर व्यय	8,42,604.00	17,14,726.00
अनुसंधान परियोजना और मॉनीटरिंग पर व्यय		
कुल (II)	8,42,604.00	17,14,726.00
III. मंत्रालय को वापसी योग्य जीआईए का शेष बकाया	-	-
कुल (I+II+III)	**69,87,108.20**	**1,73,93,437.70**

अनुसूची 22 - अनुदान

(राशि रु. में)

अनुसूची 22 - अनुदान	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
क. संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान	4,48,01,000.00	6,11,04,723.00
मंत्रालय को वापसी योग्य अव्ययित अनुदान राहत	-	-
ख. संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी	-	-
कुल	4,48,01,000.00	**6,11,04,723.00**

अनुसूची 23 - ब्याज

(राशि रु. में)

ब्याज	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
क. सावधि ऋणों पर	-	-
ख. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
ग. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	11,28,194.00	-
कुल	11,28,194.00	-

अनुसूची 23 - ब्याज

(राशि रु. में)

ब्याज	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. पूर्व अवधि आय	-	-
अचल आस्तियों से संबंधित	13,67,068.00	-
		-
कुल (क)	**13,67,068.00**	**-**
ख. पूर्व अवधि व्यय		
अचल आस्तियों से संबंधित	30,404.00	**-**
व्यय से संबंधित	55,713.00	**-**
कुल (ख)	**86,117.00**	**-**
कुल (क-ख)	**12,80,951.00**	**-**

अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. <u>लेखांकन आधार</u>

वित्तीय विवरण, लेखांकन की आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन नीतियों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. <u>अचल आस्तियां</u>

अचल आस्तियों में प्रापण की लागत, जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर तथा अनुषंगी एवं प्रापण संबंधी प्रत्यक्ष व्यय समाहित हैं।

अचल आस्तियां गैर-आर्थिक अनुदान के रूप में प्राप्त (कॉर्पस निधि के अतिरिक्त) मूल्यगत पूंजी के रूप में संगत पूंजी रिजर्व के रूप में वर्णित हैं।

3. <u>अवमूल्यन</u>

अचल आस्तियों पर अवमूल्यन आयकर अधिनियम, 1961 में प्रदत्त दरों पर ह्रासित मूल्य पर किया गया है। सितंबर माह के पश्चात् प्राप्त की गयी आस्तियों को आस्ति के लिए विहित अवमूल्यन दर के आधे दर पर अवमूल्यन किया गया है।

4. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों की गणना प्राप्ति आधार पर की गयी है।

5. सामान्य

लेखांकन नीतियां जो विशिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं हैं, अन्यथा तालमेल में हैं।

अनुसूची 25 : लेखाओं संबंधी आकस्मिक देयताएं एवं टिप्पणियां

1. **आकस्मिक देयताएं :** संस्था के प्रति देय दावों को ऋण के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है-शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)

2. **पूंजीगत प्रतिबद्धता :** पूंजीगत लेखे से निष्पादित नहीं हुई संविदाओं का प्राक्कलित मूल्य एवं जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम के निवल) - शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

3. **चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम**

   प्रबंधन के अनुसार, चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिमों की कीमत कारोबार के सामान्य तरीके से वसूली करने पर पता लगती है, जो कम से कम तुलन-पत्र में दर्शायी गई संपूर्ण राशि के समान हो।

4. संलग्न अनुसूची 1 से 25, 31 मार्च, 2020 के तुलन पत्र तथा उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं लेखे का अनिवार्य भाग है।

5. जमा पर ब्याज आय को प्रोद्भूत आधार पर और सकल आंकड़ों में दर्शाया गया है और स्रोत पर कटौती को पृथक रूप से दर्शाया गया है।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा

पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली - 110002

सं. डीजीए/एस.डी./ईए/136/एसएआर/एनटीसीए/2020-21/869 **दिनांक : 31 मार्च 2021**

सेवा में,

डॉ. एस. पी. यादव,
एडीजी (पीटी) एंड एमएस,
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, एमओईएफ एंड सीसी
7वां तल, पं. दीन दयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली : 110003

विषय : वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर)।

महोदय,

मुझे वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया / अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा जारी किया गया रेजोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद मे प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियां इस कार्यालय तथा दो प्रतियां भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाए। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियॉ भी इस कार्यालय को सूचित की जाए।

भवदीया,

संलग्नक : पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

निदेशक (पर्या. ले.)

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखा संबंधी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथासंशोधित 2006 की धारा 38द के साथ पठित नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के संबद्ध तुलन - पत्र, आय एवं व्यय तथा प्राप्तियां एवं भुगतान की लेखापरीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करना है।

2. इस अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उत्तम लेखा व्यवहार, लेखा मानक एवं प्रकटन मापदंड के वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में लेखा उपचार संबंधी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां दी गई हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन संबंधी वित्तीय लेन-देन तथा दक्षता सह-निष्पादन पहलू आदि, यदि कोई हो तो, संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निरीक्षण रिपोर्टों / सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में अलग दर्शाया गया है।

3. हमने भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण, वस्तुगत मिथ्या बयानी से मुक्त है, अपनी लेखापरीक्षा की आयोजना एवं निष्पादन करते हैं। लेखापरीक्षा में राशियों के अनुसमर्थन में लगे साक्ष्यों तथा वित्तीय विवरण के प्रकटन का जॉच आधार पर परीक्षण करना शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के साथ - साथ प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का निर्धारण करना भी शामिल है। हमें यह विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हमारा प्रतिवेदन है कि :

(क) तुलन पत्र :

1. आस्तियां

1.1 चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम इत्यादि

रुपये 5,14,745 की राशि को स्रोत पर कटौती (टीडीएस) के रूप में दर्शाया गया है। यह राशि पिछले वर्षों में वर्ष 2018 तक सावधि जमा / मियादी जमा पर प्राप्त ब्याज से कटौती की गयी राशि है। आय कर अधिनिरयम, 1961 की धारा 10(46) के अनुसार, एक सांविधिक निकाय को भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अध्यधीन आय कर के भुगतान से छूट प्राप्त होती है। एनटीसीए ने आय कर विभाग से बैंक द्वारा कटौती की गयी टीडीएस की राशि की वसूली करने का कोई प्रयास नहीं किया है। इसके अलावा, एनटीसीए ने कभी भी आय कर विभाग में आय कर विवरणी दाखिल नहीं किया है।

(ख) सामान्य

1. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण कोष का सृजन नहीं करना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन से संबंधित राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 सितंबर 2006, जिसके तहत धारा 38ठ के अनुसार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के गठन से संबंधित अध्याय IVख शामिल किया गया था। इस धारा 38त(2) के अनुसार, ''व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण कोष'' नामक एक कोष गठित किया जाना था, जो व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को उनके प्रकार्यों का निष्पादन करने के लिए उनके वेतन, भत्ते और अन्य पारितोषिक के भुगतान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरी है।

28 सितंबर 2007 को इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 2007 की अधिसूचना के पश्चात् भी आज तक एनटीसीए द्वारा कोई कोष सृजित नहीं किया गया है।

प्रमाणन लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 के दौरान लेखा परीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने के बावजूद, एनटीसीए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

2. भवनों के स्वामित्व विलेख का गैर - क्रियान्वयन/निष्पादन

उपर्युक्त राशि में जुलाई, 2012 में हाउसफेड असम से खरीदा गया क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी का भवन और मई, 2015 में पीडब्ल्यूडी नागपुर द्वारा आवंटित एक और क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर भवन की सकल लागत की राशि रुपये 2,50,03,325/- शामिल है। इन परिसंपत्तियों के स्वामित्व /

हस्तांतरण / पट्टा विलेख न ही निष्पादित किए गए थे और ना ही एनटीसीए ने इसके निष्पादन हेतु कोई प्रयास किया था। इसके अलावा, प्रत्येक संपत्ति के स्वामित्व / हस्तांतरण / पट्टा विलेख का संपत्तिवार ब्यौरे को लेखा बही में शामिल नहीं किया गया है।

3. सेवांत लाभों का कोई प्रावधान नहीं

एनटीसीए ने नियमित रूप से और प्रतिनियुक्ति पर प्राधिकरण में कार्यरत अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों के 'सेवांत लाभों' जैसे उपदान(ग्रेच्यूटी), संचित अर्जित अवकाश, छुट्टी वेतन और पेंशन संबंधी हितलाभों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है और लेखाओं की अनुसूची - 7 'चालू देयताएं और प्रावधान' और / या अनुसूची - 20 'स्थापना व्यय' दोनों में 'शून्य' शेष दर्शाया गया है, बावजूद इसके कि पिछले वर्ष लेखा परीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाया गया था।

(ग) अनुदान सहायता :

अनुदान सहायता प्राप्ति और व्यय में मेल नहीं होना

एनटीसीए के पास 75,69,460 रुपये के प्रारंभिक बैंक जमा/अग्रदाय शेष के अलावा इसे वर्ष 2019-20 के दौरान 84,986,937 रुपये की अनुदान सहायता और 17,41,509 रुपये की अन्य प्राप्तियां प्राप्त हुईं। 94,297,906 रुपये की कुल राशि में से प्राधिकरण ने 84,109,874 रुपये का भुगतान किया था और इसके पास 10,188,032 रुपये की राशि का अंतिम बैंक जमा/अग्रदाय शेष बच गयी।

(घ) प्रबंधन पत्र

उन कमियां को जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, को उपचारात्मक / सुधारात्मक कार्रवाई हेतु एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से अलग से जारी कर सदस्य सचिव, एनटीसीए के संज्ञान में लाया गया।

(i) पूर्व के अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में चर्चा किए गए तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां एवं भुगतान लेखाओं की बहियों से मेल खाते हैं।

(ii) हमारी राय में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं हमारी उत्तम सूचना के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण लेखाओं की नीतियों एवं टिप्पणियों के साथ पठित तथा ऊपर दिए गए महत्वपूर्ण विषय तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य विषय, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एवं सत्य हैं :

क. जहॉ तक 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार एनटीसीए के तुलन पत्र, मामलों की दशा का संबंध है और

ख. जहॉ तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे में घाटा का संबंध है।

स्थान : नई दिल्ली भारत के सीएंडएजी के निमित्त और उनकी ओर से

तिथि : 31. 03. 2021 लेखापरीक्षा महानिदेशक (एसडी)

आंतरिक लेखापरीक्षा/नियंत्रण प्रणाली

(क) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

मार्च 2020 तक आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की गयी थी, परंतु लेखापरीक्षा को रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

(ख) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

लेखा परीक्षा द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कमियां देखीं गयीं।

(i) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान में से सृजित आस्तियों के अभिलेख नहीं रखना

जीएफआर 233 के अनुसार, पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान सहायता में से सृजित आस्तियों को प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अनुदान ग्राही संस्थान द्वारा प्रतिधारित या निपटान किया जा सकता है। तथापि, प्राधिकरण ने अनुदान ग्राही संस्थान को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए प्रदत्त अनुदानों में से सृजित आस्तियों को कोई अभिलेख संधारित नहीं किया।

(ii) प्राधिकरण द्वारा निर्मोचित अनुदानों का रजिस्टर नहीं बनाए रखना

जीएफआर 2017 के नियम 234 के अनुसार, स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा एक अनुदान रजिस्टर तैयार किए जाने की जरुरत है, हालांकि, जीएफआर - 21 के अनुसार, वर्ष 2013-14 से वर्ष 2019-20 तक की अवधि के दौरान 2665.07 लाख रुपये की अनुदान सहायता जारी करने के बावजूद ऐसा नहीं किया जा रहा था।

(iii) वर्ष 2019-20 के दौरान रोकड़ की औचक जांच नहीं की गयी थी

(iv) बैंक समाधान विवरण

एनटीसीए ने मार्च, 2020 माह के लिए एनटीसीए मुख्यालय, नई दिल्ली का बैंक समाधान विवरण प्रस्तुत किया था। तथापि, क्षेत्रीय कार्यालय, नामत:, नागपुर, गुवाहाटी और बेंगलुरु द्वारा संधारित लेखाओं के समाधान विवरण जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(v) उपयोगिता प्रमाण-पत्र की निगरानी

अभिलेखों की जांच से पता चलता है कि वर्ष 2012-13 से वर्ष 2018-19 तक जारी की गयी अनुदान सहायता के संबंध में 15 संस्थानों से 224.93 लाख रुपये की राशि के 22 उपयोगिता

प्रमाण-पत्र (यूसी) अभी भी प्राप्त नहीं हुए थे। एनटीसीए ने 12 माह के अंत में यूसी प्रस्तुत करने के लिए नियमित रूप से संस्थानों से अनुशीलन नहीं किया था।

(ग) आस्तियां, और मालसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

एनटीसीए की वर्ष 2019-20 की वार्षिक लेखाओं की जांच-पड़ताल से पता चला कि एनटीसीए द्वारा आस्तियों, भंडारों/उपभोज्यों वस्तुओं और पुस्तकालय का ना तो भौतिक सत्यापन किया गया और ना ही लेखा परीक्षा को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। यद्यपि, पिछले वर्षों के दौरान भी लेखा परीक्षा द्वारा इस विसंगति की ओर ध्यान दिलाया गया था, तथापि, प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

(घ) प्राधिकरण ने वर्ष 2019-20 के दौरान देय होने की तिथि से छह माह से अधिक समय तक सांविधिक देय बकाया का प्रतिवाद नहीं किया है।

हस्ताक्षर

उप निदेशक (ई.ए.)

महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग
ए. जी. सी. आर. भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली - 110002

संजय कुमार झा
महानिदेशक

डीजीए (ईएसडी)/ईए/136/एसएआर/एनटीसीए/2020-21/872
दिनांक : 31 मार्च 2021

प्रिय डॉ. यादव,

मैंने राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और दिनांक 31.03.21 के पत्र के तहत तत्संबंधी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है। लेखापरीक्षा के आयोजन के दौरान अनुलग्नक - क के अनुसार कुछ कमियां देखी गयीं थी जो अपेक्षाकृत गौण थी और इसलिए इन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था। है। इन्हें उपचारात्मक और सुधारात्मक कार्रवाई हेतु आपके संज्ञान में लाया जा रहा है।

सादर,

भवदीय,
हस्ताक्षर

संलग्नक : यथोक्त

डॉ. एस पी यादव,
अपर महानिरीक्षक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
7वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी जी ओ कॉम्प्लेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003

अनुलग्नक 'क'

1. चालू देयताओं और प्रावधानों का अतिकथन

अन्य चालू देयताओं की जांच से पता चला कि मासिक प्रकाशन ''स्ट्राइप्स'' के प्रकाशन और मुद्रण के कार्य के अधिनिर्णयन के लिए मैसर्स एसकेएम वन्यजीव संरक्षण फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2015 और 2016 में प्रतिभूति के रूप में 31600 रुपये का प्रतिभूति जमा जमा किया गया था। 31600 रुपये की इस प्रतिभूति जमा का एनटीसीए द्वारा विधिवत रूप से दिनांक 27.06.2018 को प्रतिदाय कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, चालू देयताओं और व्यय, प्रत्येक में 31,600 रुपये का अतिकथन हुआ।

2. ऋण अग्रिम और अन्य का अतिकथन

एनटीसीए के वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखा विवरणों की जांच से पता चला कि एनटीसीए ने वर्ष 2015 में अपने क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु के भवन का अनुरक्षण और मरम्मत कार्य किया था, जिसके लिए 3,95,000 रुपये की राशि का प्राक्कलन किया गया था और इसके लिए दिनांक 03.02.2015 को राज्य पीडब्ल्यूडी को 3,16,000 रुपये (3,95,000 रुपये के 80 प्रतिशत) अग्रिम के रूप में दिया गया था। यह कार्य पूरा हो गया था और पहले ही शेष 20 प्रतिशत की राशि अर्थात् 79,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया था। तथापि, 3,16,000 रुपये की राशि अभी भी अग्रिम (अनुसूची- 11) में असमायोजित पड़ी हुई है। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप ऋण और अग्रिम मे अतिकथन हुआ और अन्य प्रशासनिक व्यय - भवन की मरम्मत और अनुरक्षण के तहत कम बयानी हुई।

3. अचल आस्तियां की कम बयानी

अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2019-20 के दौरान एनटीसीए कार्यालय, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, रुक्मिणी गांव, गुवाहाटी के लिए पार्किंग खंड बढ़ाने हेतु 2,91,539 रुपये की लागत पर एक सिविल कार्य किया गया था। यह देखा गया कि उपर्युक्त व्यय को अचल आस्तियों (भवन) (अनुसूची - 8) में वृद्धि, क्योंकि यह एक पूंजीगत व्यय था, के अंतर्गत न लिख कर अन्य कार्यालय व्यय (अनुसूची - 21) के अंतर्गत लिखा गया था। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप अचल आस्तियों के अंतर्गत 2,91,539 रुपये की कम बयानी हुई और अन्य कार्यालय व्यय के तहत उतनी ही राशि का अतिकथन और उस पर अवमूल्यन में भी अतिकथन हुआ।

4. आय की कम बयानी

एनटीसीए के वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखा की जांच से पता चला कि आय और व्यय से संबंधित अनुसूची - 17 ''मियादी जमा/बचत खाता/ऋण पर अर्जित ब्याज'' के अंतर्गत ''अनुसूचित बैंकों में

बचत खाता'' पर अर्जित ब्याज के रूप में शून्य रुपये की राशि दर्शायी गयी है। तथापि, बैंक से प्राप्त ब्याज प्रमाण-पत्र से पता चला कि बैंक से अर्जित और बैंक द्वारा खाते में ब्याज स्वरूप में जमा किया गया ब्याज 5.01 लाख रुपये है। इसके परिणामस्वरूप बचत खाता में प्राप्ति और बैंक शेष के अंतर्गत अतिकथन के अलावा आय में 5.01 लाख रुपये की कम बयानी हुई।

(क) वाउचर नहीं बनाना

(i) विभिन्न पक्षकारों को भुगतान करने के लिए एनटीसीए जीएआर 29 - पूर्णत: संप्रमाणित आकस्मिक बिल के प्रारूप में वाउचर तैयार करता रहा था। इसी प्रकार, प्राप्तियों के लिए, टीआर-5 में प्राप्ति जारी करने के पश्चात् कोई वाउचर तैयार नहीं किए गए थे। लेखाओं में की गयी जर्नल प्रविष्टियों/ समायोजन प्रविष्टियों के संबंध मे कोई भौतिक वाउचार / रजिस्टर नहीं रखे गए थे। इस प्रकार, प्रत्येक और सभी प्राप्तियों / भुगतान के लिए वाउचर तैयार करने के मौलिक सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

(ii) एनटीसीए ने लेखा विवरण की अनुसूची - 7 'वर्तमान देयताएं और प्रावधान' में वर्ष 2019-20 के लिए 'लेखा परीक्षा शुल्क' का प्रावधान नहीं किया था।

(ख) अभिलेखों का अनुचित रखरखाव

वाउचर के सापेक्ष अग्रिम रजिस्टर की जांच से पता चला कि :

(i) श्री निशांत वर्मा, डॉ. अनुप कुमार नायक और श्री अग्नि मित्रा को 26 से 29 फरवरी, 2020 के दौरान नेपाल में वर्टिकल प्रशिक्षण क्षमता निर्माण कार्यशाला में भाग लेने के लिए दिए गए 77,631 रुपये की यात्रा भत्ता अग्रिम की प्रविष्टि रजिस्टर में नहीं की गयी थी। जिसके नहीं होने के कारण इस बिल के अंतिम समायोजन का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(ii) कुछ यात्रा भत्ता बिलों को बिना समर्थकारी दस्तावेजों जैसे बोर्डिंग पास के बिना पास कर दिया गया था।

(iii) कर्मचारियों द्वारा यात्रा भत्ता का दावा जीएफआर नियम 290 के अनुसार साठ दिनों की विहित अवधि के बाद किया गया था और डीडीओ द्वारा उसे पास किया गया था।

उप निदेशक (ई.ए.)